राष्ट्रीय आय
(National Income)

राष्ट्रीय आय से जुड़ी अवधारणाएँ
(Concepts Related to National Income)

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)

किसी भी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को GDP कहते हैं।

जी.डी.पी. की उपर्युक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इसकी आवश्यक बातों को निम्न बिन्दुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है–

- जी.डी.पी. में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जायेगा, जो संबंधित राष्ट्र की आर्थिक घरेलू सीमा के भीतर हुआ हो। इस उत्पादन में विदेशी साधन की भूमिका स्वीकार्य है तथा संबंधित राष्ट्र के वे साधन जो अन्य राष्ट्रों की आर्थिक घरेलू सीमा में उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें नहीं जोड़ा जाएगा।
- उत्पादन में केवल अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है, न कि सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को। यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ा जायेगा तो दोहरी गणना की स्थिति पैदा हो जायेगी, जिसके कारण GDP का स्तर अवास्तविक रूप से बढ़ा हुआ दिखायी देगा।

यदि अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को ध्यान में नहीं रखना है तथा सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना है, तो इसका एक विकल्प यह होता है कि उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं पर होने वाले मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए। भारत के द्वारा जनवरी 2015 में (SNA- System of National Account)- 2008 के अंतर्गत GDP का अनुमान लगाने के लिये इसी विधि को लागू किया गया है। इसमें GDP ज्ञात करने के लिये (GVA- Gross Value Added) का प्रयोग किया जाता है।

- GDP को बाजार मूल्यों में अभिव्यक्त किया जाता है। यदि ऐसा न किया जाये तो जी.डी.पी. को आंकड़े में प्रस्तुत करना असंभव होगा तथा मूल्य संवर्धन भी नहीं निकाले जा सकेंगे और सेवाओं का मूल्याँकन नहीं हो पाएगा।
- GDP को एक समय सीमा के साथ जोड़ा जाता है, जो सामान्यत: एक वर्ष होती है।
- ***सांकेतिक*** (Nominal) GDP- इसमें वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है।
- ***वास्तविक*** (Real) GDP – इसमें वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है।

किसी देश की आर्थिक घरेलू सीमा

- सामान्यतया आर्थिक घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा को सम्मिलित किया जाता है पर दोनों बिल्कुल समान नहीं होती है। आर्थिक घरेलू सीमा में निम्नांकित को भी शामिल किया जाता है।
- वायु क्षेत्र, क्षेत्रीय जल क्षेत्र जिस पर मत्स्यन, खनिज दोहन का अधिकार हो।
- शेष विश्व में स्थित दूतावास, मिलिट्री बेस व प्रवसन कार्यालय।
- मुक्त क्षेत्र व कस्टम के नियंत्रण में आने वाले समुद्र तट के उद्यम।
- मछली पकड़ने की नौकाएँ, दो या उससे अधिक देशों के मध्य चलने वाले वायुयान व जहाज।
- इस सीमा के अंतर्गत विदेशी सरकारों के देश की सीमा में स्थित दूतावास, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ या उनके कार्यालय या अन्य देशों के मिलिट्री बेस नहीं आते हैं।

सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added)

- यह कुल उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाने पर प्राप्त अंतिम उत्पादन मूल्य होता है। मूल्य वर्धन, उत्पादन प्रक्रिया में श्रम एवं पूंजी के योगदान को प्रदर्शित करता है। आधार मूल्य पर GVA में उत्पादन कर (Production Tax) को सम्मिलित किया जाता है तथा वस्तु पर प्रदान की गयी उत्पादन सब्सिडी को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- दूसरी ओर, साधन लागत पर GVA में कोई कर सम्मिलित नहीं किया जाता है तथा सब्सिडी को सम्मिलित किया जाता है।

आधार मूल्य पर GVA = CE + OS/MI + CFC + उत्पादन कर – उत्पादन सब्सिडी

साधन लागत पर GVA = आधार मूल्य पर GVA - उत्पादन कर + उत्पादन सब्सिडी

GDP = Σ आधार मूल्य पर GVA + उत्पादन कर – उत्पादन सब्सिडी।

CE - Compensation of Employees (कर्मचारियों को मुआवजा)।

OS - Operation Surplus - (परिचालन अधिशेष)। MI - Mixed Income - (मिश्रित आय)।

CFC - Consumption of Fixed Capital - (स्थिर पूंजी का उपभोग)

सकल मूल्यवर्धन में (GVA) में क्षेत्रवार वृद्धि (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
	प्रथम संशोधित अनुमान	अग्रिम अनुमान	अग्रिम अनुमान
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	4.3	3.6	3.9
उद्योग	−1.2	−7.0	11.8
खनन और उत्पादन	−2.5	−8.5	14.3
उत्पादन	−2.4	−7.2	12.5
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	2.1	1.9	8.5
निर्माण	1.0	−8.6	10.7
सेवाएं	7.2	−8.4	8.2
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	6.4	−18.2	11.9
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	7.3	−1.5	4.0
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	8.3	−4.6	10.7
मूलभूत कीमतों पर (GVA)	***4.1***	***−6.2***	***8.6***

शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product)

शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था की वह जीडीपी है, जिसे एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है अर्थात् जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उनमें उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है, जिसका तात्पर्य उत्पाद के घिसने या टूटने–फूटने से होता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद = सकल घरेलू उत्पाद - घिसावट

स्पष्ट है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी, हमेशा उस वर्ष के जीडीपी से कम होगा।

शुद्ध घरेलू उत्पाद के प्रयोग

- इसका उपयोग घिसावट के चलते अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को समझने के लिये किया जाता है।
- किसी विशेष समयावधि के दौरान उद्योग-धंधे और कारोबार में अलग-अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है।
- अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।

हरित सकल घरेलू उत्पाद (Green GDP)

- किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये बिना अर्थात् पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास को प्राप्त करना ही हरित GDP है।
- हरित अर्थव्यवस्था में उन उत्पादों की गणना की जाती है, जिनकी उत्पादन प्रक्रिया के कारण पर्यावरणीय क्षति नहीं होती है।
- ग्रीन जी.डी.पी. देश के नागरिकों को दी गयी समयावधि में प्रतिव्यक्ति उत्पादन की वह मात्रा है जो कि देश की प्राकृतिक सम्पदा को स्थिर बनाये रखते हुए प्राप्त की जाती है। इसकी शुरुआत 1995 में विश्व बैंक द्वारा की गई।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product)

किसी भी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त होता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से प्राप्त होने वाली आय में शामिल हैं-

- निजी प्रेषण
- विदेशी कर्जे पर प्राप्त होने वाला ब्याज
- विदेशी अनुदान

स्पष्ट है कि

सकल राष्ट्रीय उत्पाद = GDP+ **विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल आय**

सकल राष्ट्रीय उत्पाद के उपयोग

- इसके अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्रयशक्ति समतुल्यता के आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। भारत क्रयशक्ति समतुल्यता के आधार पर विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- राष्ट्रीय आय के मापन के लिये GNP, GDP की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ-साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है।
- यह किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन व्यवहार को समझने में मदद करता है।
- यह किसी अर्थव्यवस्था के दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से संबंध को बताता है।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का 'शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद' (एनएनपी) कहते हैं। अत:

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद = सकल घरेलू उत्पाद विदेशी आय - मूल्य ह्रास

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के उपयोग

- यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, यद्यपि GDP, GNP और NDP सभी राष्ट्रीय आय ही हैं लेकिन इन्हें राष्ट्रीय आय के तौर पर नहीं लिखा जाता।
- यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतर तरीका है।
- यदि हम NNP को देश की कुल जनसंख्या से भाग दें तो देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- राष्ट्रीय आय की गणना-लागत मूल्य पर की जाती है।
- लागत के आधार पर किसी वर्ष के लिये NNP कम होती है जबकि मूल्य के आधार पर यह अधिक होती है।
- लागत किसी उत्पाद का उत्पादन व्यय है, जिसे साधनों/ कारकों के मूल्यों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है तथा उत्पाद का मूल्य उसकी लागत में अप्रत्यक्ष करों और उत्पादनकर्त्ता के लाभ को जोड़कर निकाला जाता है।

लागत दो प्रकार की होती हैं-

कारक/साधन लागत (Factor cost)

- किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के कारकों के लिये जितना भुगतान करना पड़ता है, उसे कारक लागत (FC) कहते हैं।
- ये कारक कच्चा माल, मजदूरी, बिजली, किराया, ऋण का ब्याज आदि होती है।
- इन्हें फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है।

बाजार लागत (Market Cost)

- जब किसी उत्पाद के कारक लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है, एवं सब्सिडी को घटाया जाता है, तो बाजार लागत प्राप्त होती है।
- इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है।

साधन लागत = बाजार मूल्य - निवल अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)

मूल्य भी दो प्रकार के होते हैं-

स्थिर मूल्य (Constant Price)

- यह किसी उत्पाद का पिछले किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है। जब वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी आधार वर्ष पर निकालते हैं तो वह स्थिर मूल्य कहलाता है। स्थिर मूल्य महँगाई को स्थिर मानकर निकाला जाता है।
- किसी भी देश की संवृद्धि और विकास का गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव जानने के लिये स्थिर मूल्य का प्रयोग किया जाता है।
- भारत का स्थिर मूल्य के लिये आधार वर्ष 2011-12 है।

चालू मूल्य (Current Price)

- किसी उत्पाद पर जो अधिकतम खुदरा मूल्य छपा होता है, वह उसका चालू मूल्य है। किसी उत्पाद का चालू मूल्य उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है।
- चालू मूल्य महंगाई की वर्तमान स्थिति को बताता है।
- भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्यों पर ही की जाती है।
- देश की आय संबंधी आँकड़े बाजार लागत पर और चालू मूल्यों पर भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली (National Income Accounts Procedure)

- राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों, उसकी कुल आय, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य द्वारा मापने का उपकरण है।
- इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित आँकड़े इस प्रकार व्यवस्थित व संकलित किये जाते हैं कि लेखों के परस्पर संबंध तथा लेखों की संरचना से विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को सरलता से समझा जा सके।
- वास्तव में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, व्यापारिक लेखा प्रणाली के नियमों और सिद्धांतों को राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित समूहों की गणना करने में लागू करने का प्रयत्न करती है।
- राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सर विलियम पेटी तथा फ्रांस के बोयल गिल्बर्ट के द्वारा किया गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया, जिसके लिये उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला।
- संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया।
- वर्ष 1931-32 में वी.के.आर.वी. राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। अत: उन्हें राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है।
- सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1863 में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक 'पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया।
- स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1949 में पीसी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इसी समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई।

वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income)

इसे स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्यों पर निकालने के कारण वृद्धि का ठीक से पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बाजार मूल्य बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि बाजार मूल्यों को किसी एक निश्चित स्तर पर स्थिर कर दिया जाये। इस संदर्भ में CSO द्वारा किसी आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार आधार वर्ष को ध्यान में रखकर निकाली गई राष्ट्रीय आय को 'वास्तविक राष्ट्रीय आय' कहते हैं। इस आय से वास्तविक वस्तुस्थिति का पता लगता है।

स्मरणीय तथ्य

- वर्ष 2015 से भारत में 2011-2012 को आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार 5 वर्ष के अन्तराल के बाद आधार वर्ष बदला जाना चाहिए।

मौद्रिक राष्ट्रीय आय (Nominal National Income)

इसे **प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय** कहा जाता है। इस राष्ट्रीय आय में आधार वर्ष के मूल्यों का प्रयोग करने के स्थान पर उसी वर्ष के मूल्यों का प्रयोग किया जाता है, जिस वर्ष के लिये राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इस राष्ट्रीय आय का विशेष महत्त्व न होने के कारण ही इसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इससे वृद्धि दर के बारे में भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है।

व्यक्तिगत आय (Personal Income)

व्यक्तिगत आय, सभी व्यक्तियों या परिवारों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय होती है। इसमें LPG सब्सिडी जैसे हस्तांतरण भुगतान भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आय लेखाकंन में कुछ ऐसी आय शामिल कर ली जाती है, जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय होती है परन्तु व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती है जैसे अवितरित लाभ, सामाजिक सुरक्षा हेतु कर्मचारी का योगदान, कॉर्पोरेट इन्कम टैक्स आय आदि। इसीलिए व्यक्तिगत आय का अनुमान लगाने हेतु इनको राष्ट्रीय आय से घटाया जाता है।

व्यक्तिगत आय = राष्ट्रीय आय + हस्तातंरण भुगतान - (कॉर्पोरेट प्रतिधारित आय, आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर)

व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (Disposable Personal Income)

इस आय का आशय किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत करों के भुगतान के बाद उपलब्ध वास्तविक व्यय योग्य राशि से है।

व्यक्तिगत प्रयोज्य आय = व्यक्तिगत आय-व्यक्तिगत कर

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

- जब किसी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात् राष्ट्रीय आय को उस देश की, उस वर्ष की मध्यावधि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त होती है।
- राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं में प्रति व्यक्ति आय लोगों के आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करने वाला सबसे बेहतर सूचक माना जाता है। इसका कारण यह है कि समग्र राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भी लोगों का जीवन स्तर कम हो सकता है, यदि संबंधित राष्ट्र की जनसंख्या अधिक हो।

क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity)

- यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक द्वारा विकसित अवधारणा है, जो किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति किसी अन्य अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आकलित करती है। वर्तमान में इसे अमेरिकी डॉलर में निरुपित करते हैं।
- इसकी गणना हेतु नई विनिमय दर निकाली जाती है, यह देखा जाता है कि कुछ निश्चित वस्तुओं की टोकरी को US डॉलर कितने में खरीदता है और उसी टोकरी को संबंधित देश की मुद्रा द्वारा कितने मूल्य में खरीदा जाता है। इन दोनों मुद्राओं की मात्रा को बराबर मानकर विनिमय दर प्राप्त होती है।
- जीवन स्तर को व्यक्त करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले आधुनिकतम माप को क्रय शक्ति समता (PPP) के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक दोनों प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं।
- इस सिद्धांत के अनुसार एक मुद्रा का बाह्य मूल्य इसकी आंतरिक क्रयशक्ति पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत व्यक्त करता है कि एक मुद्रा तथा अन्य मुद्रा के मध्य विनिमय दर उस स्तर पर संतुलित होगी, जब उनकी आन्तरिक क्रय शक्तियाँ उस दर पर समान हों।
- विश्व बैंक के अनुसार 'PPP' आधार पर अमेरिकन डॉलर में भारतीय अर्थव्यवस्था का 'GDP' दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसमें चीन प्रथम तथा अमेरिका दूसरे स्थान पर है।

राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ
(Methods of Measuring National Income)

किसी भी देश की आय को मापने की तीन विधियाँ होती हैं-

राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां

- उत्पादन विधि
- आय विधि
- व्यय विधि

उत्पादन विधि (Production Method)

- साइमन कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया है। इस पद्धति के अंतर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अन्तिम उत्पाद योग कहा जाता है। यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाता है।

इस विधि में पुरानी वस्तुओं की खरीद व बिक्री, वित्तीय सौदे, शेयर व ऋण पक्ष का क्रय विक्रय, हस्तांतरण भुगतान (वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता), पूंजीगत लाभ व हानि, अप्रत्याशित लाभ, फैक्ट्री के वस्तुओं के उत्पादन हेतु मध्यवर्ती खर्चे, किसी परिवार द्वारा अपने बगीचे में उत्पादित सब्जियों व फलों की कीमत, एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म को दिया गया लाभांश, सेवा निवृत्ति पेंशन व एक मुश्त ग्रैच्युटी को शामिल नहीं किया जाता हैं।

आय विधि (Income Method)

- इस पद्धति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यवसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त किया जाता है।
- इस विधि के अंतर्गत आयकर देने वाले सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है। ऐसा करने के लिये कभी-कभी देश में विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है तथा उनकी आय के आधार पर देश की कुल आय का अनुमान लगाया जाता है।
- उत्पादन के चार साधनों की तरह आय भी चार साधनों से प्राप्त होती है- लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभ। इन आयों में अप्रत्यक्ष कर व मूल्य ह्रास जोड़ने पर तथा सब्सिडी घटाने पर हमें GDP प्राप्त होती है।

GDP= **मजदूरी + ब्याज + लगान + लाभ + लाभांश + अप्रत्यक्ष कर + मूल्य ह्रास-सब्सिडी।**

व्यय विधि (Expenditure Method)

- व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर खर्च की जाती है अथवा बचत पर। अत: राष्ट्रीय आय कुल उपभोग तथा कुल बचत का योग होती है। इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं की आय तथा उनकी बचत से संबंधित आँकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। चूँकि इस प्रकार के आँकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए इस विधि का प्रयोग सामान्यत: कम किया जाता है।

कुल व्ययों को चार वर्गों में विभक्त किया जाता है- उपभोग (C), निवेश (I), सरकारी व्यय (G), निवल निर्यात (X-M)। इन सभी को जोड़ने पर GDP प्राप्त होती है।

GDP=C+I+G+(X-M)

- भारत में उत्पादन विधि तथा आय विधि का ही प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किया जाता है।

निम्नांकित को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित किया जाता है-

- आय-गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएँ तथा सेवाएँ।
- स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन।
- अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक तथा गणना वर्ष में उत्पादित परंतु उस वर्ष का न बिका स्टॉक।
- ब्रोकर्स कमीशन क्योंकि वह एक उत्पादक सेवा है।
- तथा सुरक्षा सेवाएँ।
- द्वारा जनता को प्रदान की गयी नि:शुल्क सेवाएँ।
- लाभांश जो कम्पनियों के ही लाभ के भाग होते हैं, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होते हैं।
- भविष्य निधि कोष (Provident Fund) में मालिकों का अंशदान।
- घिसावट या पूंजी का उपभोग, सकल घरेलू उत्पाद में तो शामिल होता है पर राष्ट्रीय आय जो शुद्ध उत्पाद होता है, में शामिल नहीं होता है।
- भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ जो विदेशी आय है, राष्ट्रीय आय में से घटा दी जाती है जबकि विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की किसी शाखा द्वारा अर्जित लाभ, राष्ट्रीय आय में जोड़ा जायेगा।
- संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता।
- विदेशी पयर्ट कों द्वारा भारत में किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा।
- विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ को दिया गया वेतन राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है।

प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद एवं अंतिम खपत					
सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	1,51,760	1,45,680	1,69,625	–4.0	16.4
सकल राष्ट्रीय आय (GNI)	1,50,320	1,44,320	1,68,340	–4.0	16.6
शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI)	1,34,186	1,28,829	1,50,326	–4.0	16.7
सकल राष्ट्रीय डिस्पोजेबल आय (GNDI)	1,54,349	1,48,504	1,72,714	–3.8	16.3
निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE)	91,790	85,348	97,563	–7.0	14.3

उत्पादन *(Production)*					
		2018 - 2019	*2019 - 2020*	*2020 - 2021*	*2021-2022*
उत्पादन खाद्यान्न	(मि. टन)	285.2	296.7	308.65 (अनु.)	316.06 (मि. टन)
थोक कीमत सूचकांक (WPI)	(प्रतिशत)	4.3	1.7	-0.1	12.5%
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (CPI)	(प्रतिशत)	3.4	4.8	6.6	5.2%
चालू खाता शेष	(GDP का %)	-2.1	-0.9	2	-0.2
विदेशी मुद्रा भंडार	(बिलियन US$)	411.9	475.6	586.1	633.6
सकल राजकोषीय घाटा	(GDP का %)	3.4	3.8	3.5	6.8%
राजस्व घाटा	(GDP का %)	2.3	2.4 (वास्तविक)	1.8 (बजट अनुमान)	5.1%
प्राथमिक घाटा	(GDP का %)	0.3	1.6 (वास्तविक)	0.4 (बजट अनुमान)	6.97%

राष्ट्रीय उत्पाद *(National Product)*

किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा स्टॉक से संबंधित है।

स्टॉक- स्टॉक से अभिप्राय समय के किसी निश्चित बिंदु पर एक चर के मूल्य से है। यह एक स्थैतिक अवधारणा है। स्टॉक का समय काल निश्चित नहीं होता है। इसे समय के किसी निश्चित बिंदु पर मापा जाता है।

उदाहरण- राष्ट्रीय सम्पत्ति, श्रम बल, बैंक जमा।

समावेशी विकास
(Inclusive Growth)

परिचय (Introduction)

विकास की वह प्रक्रिया, जिसमें सभी लोग (जैसे कि अमीर और गरीब), सभी भौगोलिक क्षेत्र (जैसे कि अगड़े राज्य और पिछड़े राज्य), शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र आदि, और सभी आर्थिक क्षेत्र (जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवायें आदि) उचित भागीदारी करते हों तो इसे 'समावेशी विकास' कहते हैं। अर्थात् समावेशी विकास उसे कहते हैं, जिसमें विकास का लाभ हर क्षेत्र व हर वर्ग के व्यक्ति को मिल सके। समावेशी विकास दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण को अपनाता है। इसके तहत लोगों के लिए आय बढ़ाने के साधन के रूप में प्रत्यक्ष आय पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर उत्पादक रोजगार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। गरीबों पर विभिन्न नीतियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और संवृद्धि हेतु शुरुआती छलांग लगाने के उद्देश्य से सरकार लघु अवधि में आय वितरण योजनाओं का उपयोग कर सकती है। परंतु ऐसी हस्तांतरण योजनाएं लम्बे समय तक लाभदायी नहीं हो सकतीं है।

समावेशी विकास, संवृद्धि की गति और पैटर्न दोनों को दर्शाती है। ये दोनों एक-दूसरे से अत: संबंधित है। अत: इन दोनों को एक साथ संबोधित किये जाने की आवश्यकता है। 'समावेशन' एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें समता, अवसर की समानता और बाजार एवं रोजगार में संक्रमणकालीन अवधि में संरक्षण शामिल है। अत: समावेशन किसी भी सफल संवृद्धि रणनीति का एक अनिवार्य घटक है। समावेशी विकास न केवल नैतिक रूप से ही जरूरी है बल्कि व्यावहारिक रूप से भी जरूरी है। यदि विकास समावेशी नही होता है तो उसका धीरे-धीरे पतन होने लगेगा, इसका कारण यह होता है कि अमीर लोगों की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति न केवल कम होती है बल्कि संपन्नता के बढ़ने के साथ और कम होने लगती है।

भारत न केवल अपने अतीत की तुलना में, बल्कि अन्य राष्ट्रों के मुकाबले भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी में आत्म संतोष नहीं किया जा सकता। वास्तव में वर्तमान में समावेशी विकास की आवश्यकता है। इसका आशय यह है, भारत अधिक तेजी से विकसित हो सके ताकि विकास के लाभों को अधिक व्यापक तरीके से फैलाया जा सके। अर्थात् विकास का लाभ एक छोटे वर्ग तक सीमित न रहकर समस्त जनसंख्या को व्यापक तौर पर उपलब्ध हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि, देश एवं राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां होनी चाहिए, जो विकास की प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सके। साथ ही ऐसा तंत्र बनाया जाए, जो ये लाभ उन लोगों को पुन: प्रदान करें, जो बाजार प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं और पिछड़ जाते हैं।

भारत में समावेशी विकास की चुनौतियाँ

भारत समूचे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व दर से होने वाली संवृद्धि तथा समृद्ध लोकतंत्र वस्तुत: सम्पूर्ण विश्व में लोगों को हमारे विषय में विचार करने को बाध्य कर रही है। परंतु यह अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से अभी काफी दूर है। सभी क्षेत्रों में विकास समरूप नहीं हैं और आबादी का बहुत बड़ा अंश इसकी परिधि से बाहर है। संवृद्धि की उच्च दर को बनाए रखने तथा साथ ही साथ इस संवृद्धि को समावेशी बनाने के लिए विविध सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक कारकों से निपटने की आवश्यकता है।

भारत में समावेशी विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- देश भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, आयु संबंधी सामाजिक बाधाओं तथा पारदर्शिता के अभाव से ग्रसित है।
- बाल श्रम का उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, जातिगत बाधाओं का निवारण तथा कार्य संस्कृति में सुधार विभिन्न सामाजिक चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए भारतीय समाज को आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- समावेशिता की सुरक्षा के लिए राजनीतिक प्रयास, समाज के सभी वर्गों को संवृद्धि में समान हितधारक बनाना तथा सबसे ऊपर सुशासन द्वारा समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्र संवृद्धि, सुनियोजित एवं लक्षित शहरी विकास, अवसंरचना में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना तथा एक स्वस्थ सार्वजनिक-निजी भागीदारी वस्तुत: तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास के मुद्दे से निपटने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं।
- उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटना, निर्वाचन प्रणाली की बुराइयों का निराकरण, आंदोलनों की राजनीति को त्यागना तथा राष्ट्रीय हित को संकीर्ण राजनीति से ऊपर रखना देश के नीति निर्माताओं के प्रमुख लक्ष्य होने चाहिए।

11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार समावेशी विकास
(Inclusive Development According to 11th & 12th Five Year Plan)

11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 'समावेशी विकास' था। इस संदर्भ में समावेशी विकास द्वारा तीन विभाजक रेखाओं को मिटाने के संदर्भ में प्रयास किया गया, ये विभाजक रेखा निम्न हैं-

- अमीर और गरीब के मध्य विभाजक रेखा।
- गांवों और शहरों के मध्य विभाजक रेखा।
- अगड़े और पिछड़े राज्यों के मध्य विभाजक रेखा।

11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को प्राप्त करने की रणनीति

शिक्षा द्वारा सशक्तिकरण

- 'सर्व शिक्षा अभियान' के माध्यम से 6-14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर देना। इस संदर्भ में निजी और सरकारी दोनों प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई।
- सूचना प्रौद्योगिकी के भारत में अच्छे विकास को देखते हुए भारत के सभी विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी, बीमा, बैंकिंग, पर्यटन, रिटेल व्यापार आदि व्यवसायों पर जोर डालने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए।
- भारत में संबंधित आयु समूह के 8% लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं जबकि अन्य विकासशील राष्ट्रों में यह 20-25% है। अत: उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए।

श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए रणनीति

पोषक अनुपूरक आहार की उपलब्धि।

- सभी चिकित्सा केंद्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।
- स्वच्छ पेयजल की पहुंच का विस्तार करना।
- स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना।
- गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसूति।
- प्राथमिक स्वास्थ्य रख-रखाव प्रणाली में सुधार

ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण

इस संदर्भ में भारत निर्माण कार्यक्रम पर जोर देने के लिए कहा गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना का यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, इसमें 6 प्रकार की ग्रामीण आधारभूत संरचना को सम्मिलित किया गया है (सिंचाई, सड़कें, मकान, जलापूर्ति, बिजली, टेलीफोन)।

अन्य उपाय

- गरीबी निवारण की एक व्यापक रणनीति जो गरीब के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जाल भी उपलब्ध करवाती हो।
- श्रम रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार अवसरों का सृजन।

11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ

- ***GDP वृद्धि दर***- 11वीं पंचवर्षीय योजना में GDP की संवृद्धि दर लगभग 8% रही। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के 7.6% से अधिक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 7.9% की संवृद्धि दर, उस अवधि में दो वैश्विक वित्तीय संकट झेलने वाले किसी भी अन्य देश की संवृद्धि दर की तुलना में अधिक थी।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि GDP में 3.7 प्रतिशत की औसत दर से तीव्र संवृद्धि दर्ज की गई। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2.4 प्रतिशत थी।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में 2004-05 से 2009-10 की अवधि में प्रति वर्ष लगभग 1.5% की दर से कमी आई।
- संस्थागत प्रसव के मामले में 2007-08 के मध्य 1.6% बिंदु की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई।
- प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर सकल नामांकन दर 2009-10 में बढ़कर 98. 3% हो गई। स्कूल छोड़ने की दर (कक्षा I-VIII) में सुधार देखने को मिला।

12वीं पंचवर्षीय योजना

- 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017
- लक्षित विकास दर - 8%

मुख्य उद्देश्य

- तीव्र, अधिक समावेशी व सतत् विकास।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के 25 मुख्य निगरानी योग्य लक्ष्य

आर्थिक विकास

- 8% तक वास्तविक जीडीपी विकास दर।
- 4% तक कृषि विकास दर।
- 10% तक विनिर्माण वृद्धि दर।
- 11वीं योजना के दौरान प्राप्त दर से प्रत्येक राज्य को उच्च विकास दर प्राप्त करनी चाहिए।

गरीबी और रोजगार

- 11वीं योजना के अंत में गरीबी दर की तुलना में गरीबी दर 10% तक कम करना।
- गैर-कृषि क्षेत्र में 5 नए काम के अवसर और कौशल प्रमाणन, जिससे 50 मिलियन नए रोजगार का सृजन हो सके।

शिक्षा

- स्कूल की पढ़ाई का औसत वर्ष 7 साल तक बढ़ाना।
- उच्च शिक्षा में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए 20 लाख सीटें।
- स्कूल नामांकन में लिंग अंतर और सामाजिक अंतर की समाप्ति।

स्वास्थ्य

- मातृ मृत्यु दर को 212 से 100 तक लाना।
- शिशु मृत्यु दर को 44 से 25 लाना।
- बाल लिंग अनुपात को बढ़ाकर 950 करना।
- कुल प्रजनन दर को 2.4 से कम करके 2.1 तक लाना।
- कुपोषित बच्चों की संख्या को 40% से 23% तक लाना।

अवसंरचना

- सकल सिंचित क्षेत्र को 103 मिलियन हेक्टेयर करना (90 मिलियन हेक्टेयर से)।
- सभी गांवों को बिजली; तकनीकी और वाणिज्यिक हानियाँ (एटी एंड सी) को 20% तक कम करना।
- ऑल वेदर रोड्स के साथ गांवों को जोड़ना।
- पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर को पूरा करना।
- ग्रामीण टेली-घनत्व 70% तक बढ़ाना।
- प्रतिदिन 40 लीटर प्रति व्यक्ति के अनुसार ग्रामीण आबादी के 50% तक को पेयजल; सभी ग्राम पंचायतों के 50% गांवों को निर्मल ग्राम का दर्जा।
- हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक ग्रीन कवर बढ़ाना।
- पंचवर्षीय अवधि में 30,000 मेगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना।
- 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के 20-25% तक कम करना।

सेवा प्रदान करना

- 90% भारतीय घरों में बैंकिंग सेवाएं।
- आधार आधारित 'डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम' के माध्यम से सब्सिडी और कल्याण से संबंधित भुगतान करना।

अत: हम पाते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अधिक समावेशन की ओर केंद्रित थी।

भारतीय समावेशी विकास का मापन तथा बढ़ावा देने के उपाय (Measurement of Inclusive Development of India)

समावेशी विकास की दृष्टि से प्रगति का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि समावेशिता एक व्यापक अवधारणा है। किन्तु यह भी सच है कि समावेशी विकास से यदि गरीबी के प्रतिशत में कमी होती है, तो साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में व्यापक सुधार भी होता है। यदि मजदूरी रोजगार, पानी, बिजली, सड़क, सफाई एवं आवास जैसी सुविधाओं की व्यवस्था में सुधार परिलक्षित हो तो निश्चित ही हम समावेशी विकास का अनुमान लगा सकते हैं हालांकि इसे अभी भी मापना कठिन है। फिर भी समावेशी विकास की अवधारणा को स्पष्ट रूप

देने का एक तरीका राष्ट्र की प्रगति को उसके सबसे गरीब हिस्से की प्रगति के आधार पर मापा जा सकता है। अर्थात् जनसंख्या के निचले 20% हिस्से की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समावेशी विकास की प्रगति को मापा जा सकता है। यदि इस प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो यह 'समावेशी विकास' कहलाता है। तकनीकी रूप से निचले 20% हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को 'क्विन्टाइल आय' नाम दिया गया है। इसीलिए समावेशी विकास की अवधारणा स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर जोर देती है कि भारत को उच्च विकास दर हासिल करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज का सबसे कमजोर गरीब वर्ग इस विकास से लाभान्वित अवश्य हो, परन्तु वर्तमान भारत में गरीबी की जो स्थिति है, वह सही अर्थों में समावेशी विकास और 9% की विकास दर पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न है, क्योंकि 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) द्वारा जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट दर्शाती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं।

समावेशी विकास को हम निम्नांकित आधार पर माप सकते हैं:

- ***प्रति व्यक्ति आय के आधार पर***- इस माप को आर्थिक समीक्षा 2009-10 में विकसित किया गया तथा आर्थिक समीक्षा 2010-11 में इस पर बल दिया गया। इसके अनुसार, यदि जनसंख्या के निचले पांचवें हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सकता है तथा यदि इस हिस्से की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो तो हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास हो रहा है। यह तरीका अधिक उत्तम है क्योंकि इसमें विकास को उस तरह नजर-अंदाज नहीं किया जाता जैसे कुछ परंपरागत मापदंड करते हैं। लेकिन इस वर्ग की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करती कि इस वर्ग की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, यद्यपि यह स्थापित अवश्य करती है कि विकास में इनकी भागीदारी बढ़ रही है तथा वे इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
- ***मानव विकास सूचकांक माप आधार***- मानव विकास सूचकांक (HDI) आर्थिक विकास का सबसे विश्वसनीय माप माना जाता है। समग्र रूप से व्यक्त एच.डी.आई. इस पर प्रकाश डालता है कि आर्थिक विकास हो रहा है तथा साथ ही लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है अथवा नहीं यदि हम जनसंख्या के निचले पांचवें भाग के संदर्भ में एच.डी.आई. की गणना करें तो इसका बढ़ना यह व्यक्त करेगा कि निचले वर्ग की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। हम रोजगार अवसर वक्र, जेन्डर डिस्पैरिटी इन्डेक्स, इन्फ्लेशन सेन्सटिविटी इन्डेक्स के भी आधार पर समावेशी विकास की स्थिति पर प्रकाश डाल सकते हैं।
- ***बहु आयामीय गरीबी सूचकांक (Multi-dimensional Poverty Index-MPI)***- MPI को 2010 में एच.डी.आर. में विकसित किया गया है। MPI को विभिन्न देशों के बीच गरीबी की स्थिति (जो राष्ट्रीय गरीबी रेखा या अंतर्राष्ट्रीय

विकास और समावेशी संवृद्धि (Development & Inclusive Growth)

विकास की अवधारणा गुणात्मक (Qualitative) है, वहीं संवृद्धि परिणामात्मक (Quantitative) होती है। संवृद्धि, अंकगणित के नंबरों के माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था में उत्पाद वृद्धि को दर्शाता है जबकि विकास की अवधारणा में उत्पाद वृद्धि से हुए लाभ को समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाना होता है। विकास का आशय अर्थव्यवस्था में समान वितरण से भी है।

ट्रिकल डाउन थ्योरी (Trickle Down Theory)

पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि प्रारंभ में वृद्धि में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और तत्पश्चात् विकास 'नीचे रिसने वाले सिद्धांत' (Trickle Down Theory) के तहत् होगा। इसका आशय यह है कि वृद्धि में बढ़ोत्तरी का लाभ नीचे छनते हुए समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचेगा और समान वितरण सुनिश्चित होगा।

भारत में 2005 से ऊंची वृद्धि दर प्राप्त होते हुए भी उसका लाभ, 'नीचे रिसने वाला सिद्धांत' के आधार पर समाज के सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाया है और इसलिए इस सिद्धांत की सत्यता पर संदेह उठ खड़ा होता है। इस सिद्धांत के बावजूद अत्यंत गरीबी का स्तर अप्रभावित रहा, बेरोजगासरी भी यथावत रही और क्षेत्रीय विषमताएं भी पूर्व की भांति ज्यों कि त्यों बनी रहीं (बल्कि और भी ज्यादा परिलक्षित हुई है)। नीचे रिसने वाले सिद्धांत के, भारत के परिप्रेक्ष्य में सफल न होने के कई कारण है। सर्वप्रथम, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ढांचागत समस्या यह है कि यहां की आर्थिक निर्भरता अत्यधिक रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। लगभग 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में, कृषि का योगदान मात्र 17.8% है।

लगभग 54.3% का सबसे बड़ा योगदान प्रदत्त सेवाओं का है। ष्टोज़ 27.9% अनुपूरक क्षेत्र (Secondary Sector) का है, जिसमें 14% ही औद्योगिक क्षेत्र का है। कृज़ि जो क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में, सबसे कम योगदान करता है, इसके उलट उस पर जनसंख्या की सबसे ज्यादा निर्भरता है (कृज़ि) और सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र (प्रदत्त सेवाएं) पर जनसंख्या की सबसे कम निर्भरता है।

दूसरा कारण भारत की संवृद्धि प्रक्रिया में एक कड़ी गायब है और वह है देष्ठा में प्रदत्त सेवाओं का क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से पहले परिपक्व हो गया। आदर्ष्ठा परिस्थितियों में औद्योगिक क्षेत्र की परिपक्वता पहले आनी चाहिए थी या कम से कम सेवा क्षेत्र के बराबर अवधि में होनी चाहिए थी। यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि औद्योगिक क्षेत्र एवं कृज़ि क्षेत्र में एक जुड़ाव होता है। चाहे वह कच्चे माल के जरिए हो या औद्योगिक उत्पादनों के माध्यम से हो। साथ ही, रोजगार अवसर भी जोड़ने की कड़ी का काम करते हैं। कुल मिलाकर इनसे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक वृद्धि होती है।

इस प्रकार हाल के वर्षो में बढ़ी हुई संवृद्धि का लाभ, सेवा क्षेत्र को ज्यादा मिला है और तुलनात्मक रूप से औद्योगिक क्षेत्र को काफी कम और कृषि क्षेत्र को तो बिल्कुल ही नहीं मिला है जहां हमारी अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। कुछ हद तक कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के पीछे कम सरकारी प्रयास भी जिम्मेदार है। जैसे-सरकार गांवों के इर्द-गिर्द मूलभूत, कारगर, संरचनात्मक ढांचा तैयार कर सकती है और सड़क, रेल मार्ग को आपस में जोड़ सकती है। इसका उद्देश्य होना चाहिए कि अखिल भारतीय (Pan India) सड़क एवं रेल यातायात सुगम हो। इससे एक तो आसानी से हर जगह पहुंचा जा सकेगा और साथ ही श्रमिकों की गतिशीलता भी बढ़ जाएगी।

इतिहास साक्षी है कि जर्मनी, अमेरिका एवं हाल ही में चीन में सड़क यातायात में उन्नति से विकास के द्वार खुले। भारत में इस वास्तविकता की जागृति अभी हाल में ही आयी है और अब सड़क निर्माण को उचित महत्त्व दिया जा रहा है। इसलिए भारत में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, (देश के चार महानगरों व मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई को जोड़ने के लिए), उत्तर दक्षिण कॉरिडोर (श्रीनगर, कन्याकुमारी) और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (सिल्चर पोरबंदर) आदि।

भारत में समावेशी संवृद्धि के सुझाव

व्यावसायिक वातावरण में बेहतरी
- संशोधित कंपनी-बिल की स्वीकार्यता
- भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन
- प्रतियोगिता-आयोग की भूमिका में सुधार
- सरकारी अंतर-विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था

राजकोषीय स्थिति में सुधार
- राजकोषीय व्यवस्था में सुधार
- रियायतों के लिए पात्रता एवं लाभ को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना।
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान सुधारों की शुरूआत जिससे निवेशकों का आकर्षण बढ़े।

जन-प्रशासन एवं नियमों में बेहतरी
- प्रशासनिक नियमों के मकड़जाल में कमी
- एक पारदर्शी और साक्ष्य आधारित नियमन लागू करने की व्यवस्था
- सार्वजनिक पारदर्शी को सुनिश्चित करना ताकि जन-विश्वास को मजबूती मिले

नवीन सुझावों पर बल
- व्यवसाय और नवीन सुझावों के लिए उपयुक्त वातावरण।
- अंतर्राष्ट्रीय खुलेपन को बढ़ाने की दिशा में सुधार
- सकल घरेलू उत्पाद की साझीदारी में निवेश और नवीन सुझावों को स्थान
- व्यापार निर्यात और निवेश

गरीबी और असमानता में कमी
- गरीबी और असमानता कम करने के लिए व्यापक सुधार।
- मनरेगा कार्यक्रम की लागत-सार्थकता में वृद्धि।
- रियायतों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित आबादी का पुनर्निर्धारण एवं स्वाभाविक न्याय में वृद्धि

परिवहन ढ़ाचे में सुधार
- राजमार्गों के ठेके में सरकारी और निजी भागीदारी की निगरानी।
- भू-अभिलेखों की व्यवस्था में सुधार।
- रेलवे लेखा एवं वित्त व्यवस्था में सुधार।
- ढांचागत विकास कार्यक्रमों में सुरक्षा के निर्देशों का एकीकरण

वित्तीय क्षेत्र के सुधार
- बैंक-क्रेडिट निर्धारण में उदारता।
- वित्तीय क्षेत्र के कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण।
- सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों के नियमन का आधुनिकीकरण
- घरेलू-ऋण-उपयुक्तता के डाटाबेस में सुधार।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
- औषधि आपूर्ति व्यवस्था का नियमन।
- गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए राज्यों को अतिरिक्त धन।
- निजी स्वास्थ्य बीमा योजना का नियमन।

गरीबी रेखा पर व्यक्त गरीबी को अधिक व्यापक आयाम प्रस्तुत करता है) तथा समावेशित विकास को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है।

- ***सामाजिक तथा ग्रामीण क्षेत्र पर होने वाला व्यय***- सामाजिक तथा ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय समावेशी विकास की दिशा में प्रयास को प्रदर्शित करता है।
- ***ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी में वृद्धि***- एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है वहां इस क्षेत्र में बढ़ती वास्तविक मजदूरी दर में वृद्धि को समावेशन के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है।
- ***शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार***- शिक्षा व स्वास्थ्य दो ऐसे सामाजिक संरचनाएं हैं, जो गरीबी से बाहर निकालने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपायों में से एक माने जाते हैं। अत: इनमें सुधार स्वत: ही गरीबी को कम करने में उत्तरदायी होते हैं।
- समावेशी विकास कोई नयी अवधारणा नहीं है, परंतु इससे यह इंगित होता है कि सरकार विकास को किस दृष्टि से देख रही है। पहले यह विश्वास किया जाता था कि विकास के लिए वृद्धि एक आवश्यक मानक है। समावेशी संवृद्धि के परिवर्तित अभिप्राय से यह भावना प्रकट होती है कि किसी भी प्रकार की वृद्धि से होने वाला लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसका आधार बड़ा हो और इस बढ़ोत्तरी की उन्मुखता आम जन (Masses) की ओर हो, न केवल विशिष्ट वर्ग (Classes) की ओर। इस प्रकार समावेशी-विकास में संवृद्धि और विकास दोनों ही तत्त्व समाहित हैं और इनको अलग-अलग न देखकर, वर्तमान सहित भविष्य में विकास के एक रूप में देखना चाहिए। (अर्थात् वर्तमान विकास के साथ-साथ इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि भविष्य में विकास बना रहे।)

यहां समावेशिता (Inclusivity) से आशय ऊंची संवृद्धि से प्राप्त लाभ का ज्यादा से ज्यादा न्याय-संगत वितरण (Equitable) से हैं, परंतु न्याय संगत वितरण एक अर्थव्यवस्था में अंकगणितीय आधार पर समान वितरण नहीं है। यह सिर्फ सैद्धांतिक रूप से संभव है। न्यायसंगत वितरण से आशय 'ईमानदार और न्याययुक्त' वितरण को आम जनता, विशेषकर गरीबों के लिए सुनिश्चित करना है। हम देख चुके हैं कि 'समावेशी संवृद्धि' आम जनता की ओर उन्मुख है, तब यह जानना जरूरी है कि समावेशी संवृद्धि से क्या-क्या मिलना चाहिए? अथवा यह कब कहा जा सकता है कि संवृद्धि अब समावेशी हो गयी है और इसके परिणाम आने शुरू हो गये हैं समावेशी-संवृद्धि से निम्न दशाएं प्राप्त होनी चाहिए।

- प्रारंभिक स्तर (Entry Level) पर आम जन के लिए रोजगार के अवसर, जीवन-यापन की सुविधाएं, बढ़ोत्तरी और उनके कल्याण में वृद्धि। इन सभी के सम्मिलित योगदान से अत्यंत निर्धन वर्गों में कमी आयेगी।
- क्षेत्रीय असंतुलन में कमी।
- कौशल-विकास के अवसर पैदा करना।
- उद्योगों का देश में बेहतर विस्तार।
- कृषि आधारित उद्योगों में बढ़ोत्तरी।
- धीरे-धीरे कृषि क्षेत्र आधारित, आर्थिक आय की अत्यधिक निर्भरता को कम करना और रोजगार संचालित कृषि आधारित जनसंख्या का आशावादी स्थानान्तरण (Positive Migration) सुनिश्चित करना।
- व्यवसाय परक रोजगार में वृद्धि (बढ़ईगीरी, कार मैकेनिक, स्कूटर, टी.वी. मोबाइल, बागवानी इत्यादि)।

समावेशी-संवृद्धि की एक और आवश्यकता है कि केंद्र व राज्य सरकारें अपनी सोच-समझ में बदलाव लायें, साथ मिलकर ऐसा 'योग्य बनाने वाला वातावरण' (Enabling Environment) पैदा करें कि उपरोक्त सुविधाएं समाज में उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार के वातावरण निर्माण में निम्न आवश्यकताओं का पूरा होना आवश्यक है:

- पूरे देश में रेल-सड़क का जाल बिछाना ताकि हर स्थान के लिए सुगम यातायात के साधन उपलब्ध हो सकें तथा यात्रियों और माल की ढुलाई तेजी से हो सके।
- जन-सेवाओं की सबके लिए उपलब्धता (जैसे प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिक्षा-सुलभता), जन उपयोगी सुविधाएं (बिजली, पानी और स्वच्छता), जन-केंद्र (सामाजिक उपयोग वाली सुविधाएं जैसे सामुदायिक केंद्र इत्यादि)।
- कौशल-विकास के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पुन: स्फूर्तिमान बनाना।
- निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश के लिए उदार नीतिगत परिवर्तन (उदाहरणस्वरूप टाटा कंपनी को नैनो गाड़ी बनाने के लिए गुजरात जाना)।
- कार्यशील जनसंख्या की रोजगार पर सीधे पहुंच।

भारत को भविष्य में समावेशी-संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाने वाले वातावरण का निर्माण पहली आवश्यकता है। बढ़ोत्तरी एवं विकास अथवा समावेशी-संवृद्धि, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हर सरकार का स्वीकृत लक्ष्य रहा है। इस उद्देश्य में आज भी कोई संदेह नहीं है, परंतु इसके लक्ष्य की प्राप्ति के तौर-तरीकों में अंतर परिलक्षित है।

पूर्व की सरकारों ने वृद्धि को बढ़ाने और न्याय-संगत वितरण दोनों की जिम्मेदारी खुद पर ले रखी थी। इस कारण उपलब्ध संसाधन दोनों ही क्षेत्रों में बंट गये और पूरा प्रयास कमजोर पड़ गया। इससे न तो वांछित संवृद्धि प्राप्त हो सकी और न ही न्यायसंगत वितरण निश्चित किया जा सका।

1991 में किये गये आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण बदलाव यह लाया गया कि निजी क्षेत्र को निवेश और संवृद्धि की बड़ी भूमिका अदा करने का प्रावधान किया गया। सरकार ने अपनी भूमिका कल्याणकारी कार्यक्रमों और सक्षम बनाने वाले वातावरण के निर्माण तक सीमित कर दी, ताकि अर्थव्यवस्था में भविष्य में समावेशी-संवृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसा इस अवधारणा पर भी आधारित है कि निजी क्षेत्र आधारित संवृद्धि में बड़ी भागीदारी से ज्यादा-से-ज्यादा टैक्स प्राप्त होगा और सरकार का सामाजिक क्षेत्र में दखल का दायरा बढ़ेगा और इस प्रकार लाभ को आवश्यक जगहों पर पुनर्वितरित किया जा सकेगा।

समावेशी-संवृद्धि कोई नयी विचारधारा नहीं है, बल्कि पहले कही जाने वाली वृद्धि, विकास और न्याय-संगत वितरण का सम्मिलित स्वरूप है, जिसे आज समावेशी-संवृद्धि की संज्ञा दी गयी है। यह विशिष्ट रूप तथा अवधारणा स्वयं में अकेली है, जो भारत ने अपने लिए अपनायी है। भविष्य में चुनौती मात्र उच्चतर संवृद्धि दर प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि कैसे समावेशिता का दायरा बढ़ाकर उसका आधार और भी बड़ा बनाया जाए जो आमजन के लिए लाभप्रद हो। समावेशी-संवृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक चुनौती स्वरूप रखी गयी थी और इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे और भी बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है।

समावेशी विकास संबंधी सूचकांक
(Inclusive Development Related Index)

मानव विकास सूचकांक

- मानव विकास सूचकांक की संकल्पना के विकास में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है, वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही अधिक ऊपर होता है।
- वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (United nations Development Programme) द्वारा मानव विकास सूचकांक (Human

Development Index - HDI) को प्रस्तुत किया गया।

- मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित तीन आयामों (Dimensions) तथा सूचकों (Indicators) का प्रयोग किया जाता है।

आर्थिक संवृद्धि एवं समावेशी आर्थिक विकास के मापक

आर्थिक संवृद्धि के मापक	समावेशी आर्थिक विकास के मापक
• सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) • सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product- GNP) • निवल घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product- NDP) • निवल राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Prouduct- NNP)	• मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) • लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index- GDI) • लैंगिक सशक्तिकरण मापन (Gender Empowerment Measures- GEM) • लैंगिक खुशहाली सूचकांक (Gender Wellbeing Index- GWI) • बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index- MPI) • वैश्विक खुशहाली सूचकांक (Happy Planet Index- HPI)

मानव विकास सूचकांक के आयाम की गणना (Dimensions and Calculation of HDI)

आयाम (Dimensions)	सूचक (Indicators)	गणना (Calculation)
(1) दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन (Long and Healthy Life) अर्थात् जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth)	जीवन प्रत्याशा सूचकांक (Life Expectancy Index-LEI)	$LEI = \frac{LE-20}{85-20}$ LEI = 1, जब जीवन प्रत्याशा (LE) 85 होगी तथा LE t = 0, जब जीवन प्रत्याशा (LE) 20 होगी
(2) ज्ञान (Knowledge)	शिक्षा सूचकांक (Education Index–EI) 1. स्कूल जाने के औसत वर्षों का सूचकांक (Mean Years of Schooling Index–MYSI) $MYSI = \frac{MYS}{18}$ 1. स्कूल के प्रत्याशि वर्षों का सूचकांक (Expected Years of Schooling Index) $MYSI = \frac{EYS}{18}$	$EI = \frac{MYSI + EYSI}{2}$
(3) प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) अर्थात् PP के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI Per Capital @ PPP) आधार पर	आय सूचकांक (Income Index–II)	$II = \frac{In(GNI_{FC}) - In(100)}{In(75,000) - In(100)}$ जब GNI_{FC} (GNI Per Capital) \$ 7500 होगा तब आय सूचकांक का मान 1 होगा तथा जब GNI_{pc} \$ 100 होगा तब आय सूचकांक का मान शून्य (Zero)

नोट- मानव विकास सूचकांक (HDI)– $\sqrt[3]{LEI \times EI \times II}$

- लिंग आधारित असमानता सूचकांक की रचना के लिए सर्वप्रथम जन्म के समय महिला तथा पुरुज़ की अलग-अलग जीवन प्रत्याष्ठा को ज्ञात किया जाता है। महिला की जीवन प्रत्याष्ठा को आधार रूप में लिया जाता है, जिससे यह पता चल सकेगा कि वे दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं या नहीं। पुरुज़ तथा महिला के ज्ञान अथवा मानसिक विकास की जानकारी के लिए अलग-अलग ष्ठिाक्षा सूचकांक ज्ञात किया जाता है। किसी देष्ठा में लैंगिक असमानता के विद्यमान न होने पर मानव विकास सूचकांक तथा लिंग आधारित विज़मता सूचकांक दोनों ही समान होंगे।

लैंगिक खुष्ठाहाली सूचकांक (Gender Wellbeing Index : GWI)

- इसकी ष्ठाुरुआत, UNDP के द्वारा वर्ज़ 2010 में की गई थी। इस सूचकांक से महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक खुष्ठाहाली का पता चलता है।
- इस सूचकांक का उद्देष्ठय घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को कामकाजी महिलाओं में बदलना है ताकि महिलाओं के घरेलू कार्यों को वाणिज्यिक दर्जा प्राप्त हो सके।
- इस सूचकांक से महिलाओं के दृज़्टिकोण में परिवर्तन होगा जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा तथा उनकी पहचान भी बनेगी।

महिलाएं

कामकाजी महिलाएं (Working Women)	घरेलू महिलाएं (Working Women)
इनके कार्यों का वाणिज्यिक महत्व है।	इनके कार्यों का वाणिज्यिक महत्व नहीं है।

जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (Physical Quality of Life Index-PQLI)

- जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के प्रतिपादन का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी संस्था 'ओवरसीज विकास परिषद्' (Overseas Development Council) को दिया जाता है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर 1 से 10 तक सूचकांक प्रदान किए जाते हैं।
- यह सूचकांक निम्नलिखित चरों पर निर्भर करता है:

1. साक्षरता
2. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
3. शिशु मृत्यु दर

$$PQLI = \left[\frac{1}{3}(LEI + BLI + IMI)\right]$$

LEI (Life Expectancy Index) =जीवन प्रत्याशा सूचकांक
BLI (Basic Literacy Index) =मौलिक साक्षरता सूचकांक
IMI (Infant Mortality Index) =शिशु मृत्यु सूचकांक

- मौलिक साक्षरता सूचकांक से आशय किसी देश की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों के प्रतिशत से है।
- इस सूचकांक के अनुसार, जीवन प्रत्याशा अधिक होनी चाहिए, शिशु मृत्युदर कम होनी चाहिए तथा साक्षर लोगों का प्रतिशत अधिक होना चाहिए। यह विकास का सूचक है क्योंकि इसके लिए उच्च आय तथा उच्च सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index)

यह सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक तीन प्रमुख आयामों में बांटा गया है:

मूलभूत आवश्यकता

- पोषण तथा मूलभूत चिकित्सा सुविधा।

मानव विकास सूचकांक के आयाम की गणना (Dimensions and Calculation of HDI)

आयाम (Dimensions)	सूचक (Indicators)	गणना (Calculation)
दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन (Long and Healthy Life) (1) **अर्थात्** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth)	जीवन प्रत्याशा सूचकांक (Life Expectancy Index-LEI)	$LEI = \frac{LE - 20}{85 - 20}$ LEI = 1, जब जीवन प्रत्याशा (LE) 85 होगी तथा LE t = 0, जब जीवन प्रत्याशा (LE) 20 होगी
(2) ज्ञान (Knowledge)	शिक्षा सूचकांक (Education Index–EI) 1. स्कूल जाने के औसत वर्षों का सूचकांक (Mean Years of Schooling Index–MYSI) $MYSI = \frac{MYS}{18}$ 1. स्कूल के प्रत्याशि वर्षों का सूचकांक (Expected Years of Schooling Index) $MYSI = \frac{EYS}{18}$	$EI = \frac{MYSI + EYSI}{2}$
प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) (3) **अर्थात्** PP के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI Per Capital @ PPP) आधार पर	आय सूचकांक (Income Index–II)	$II = \frac{In(GNI_{FC}) - In(100)}{In(75,000) - In(100)}$ जब GNI_{FC} (GNI Per Capital) \$ 7500 होगा तब आय सूचकांक का मान 1 होगा तथा जब GNI_{pc} \$ 100 होगा तब आय सूचकांक का मान शून्य (Zero)

नोट– मानव विकास सूचकांक (HDI)– $\sqrt[3]{LEI \times EI \times II}$

- ***दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन***– जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।
- ***ज्ञान***– स्कूल के औसत वर्ष तथा स्कूल के प्रत्याशित वर्ष।
- ***जीवन स्तर***– प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय।
- यू.एन.डी.पी. ऊपर बताए गए तीन मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को एक की स्केल (यानी 0.000-1.000) के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। इन उपलब्धियों के आधार पर देशों को मुख्य तौर

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए सूचकांक में अंकों की श्रेणियां बनी होती है।

- ***उच्च मानव विकास वाले देश***– सूचकांक में 0.800 से 1.000 अंक।
- ***दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन***– जन्म के समय जीवन प्रत्याष्ठा।
- ***ज्ञान***– स्कूल के औसत वर्ज़ तथा स्कूल के प्रत्याष्ठित वर्ज़।
- ***जीवन स्तर***– प्रति व्यक्ति सकल राज़्ट्रीय आय।
- यू.एन.डी.पी. ऊपर बताए गए तीन मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को एक की स्केल (यानी 0.000-1.000) के बीच उनके प्रदर्ष्शन के आधार पर स्थान देता है। इन उपलब्धियों के आधार पर देष्शों को मुख्य तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए सूचकांक में अंकों की श्रेणियां बनी होती है।
- ***उच्च मानव विकास वाले देश***– सूचकांक में 0.800 से 1.000 अंक।
- ***मध्यम मानव विकास वाले देश***– सूचकांक में 0.500 से 0.799 अंक।
- ***निम्न मानव विकास वाले देश***– सूचकांक में 0.000 से 0.499 अंक।
- वर्ज़ 2010 से पहले UNDP द्वारा GDPFC (GDP at Factor Cost) का प्रयोग किया जाता था। परंतु, वर्ष 2010 में UNDP द्वारा यह कहा गया कि, भूमण्डलीकरण (Globalisation) के कारण कई राष्ट्रों का जीवन स्तर विदेशी साधन आय से प्रभावित हो रहा है। इसलिए विदेशी साधन आय का ध्यान रखना आवश्यक है। इसी संदर्भ में वर्ष 2010 से UNDP द्वारा GNI का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया।
- UNDP द्वारा शामलि किए जाने वाले सभी राष्ट्रों की GNI को अमेरिकन डॉलर (US $) में बदला जाता है।
- UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2021 के सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर है।

असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality Adjusted Index - HDI)

- इसे वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। यह माना गया कि असमानता जीवन की गुणवत्ता (Inequality of life) पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। ऐसी अवस्था में HDI में उनका समायोजन आवष्ठयक है।
- विषमता समायोजित HDI निकालने के लिए HDI में शामिल किए गए प्रत्येक मानक को लेकर संबंधित राष्ट्रों में असमानता का पता लगाया जाता है एवं उनके आधार पर HDI के मूल्य को नीचे लाया जाता है। उदारहणत: भारत का वर्ष 2019 का HDI मूल्य (जोकि वर्ष 2020 में जारी किया गया) 0.645 है। यदि इसमें असमानता को समायोजित किया जाए तो IHDI का मूल्य 0.537 आएगा इस प्रकार असमानता के कारण भारत का HDI मूल्य 16.8% नीचे चला जाता है।

लैंगिक (जेंडर) विषमता की माप (Measures of Gender Inequality)

लैंगिक विषमता सूचकांक (GII), लैंगिक विषमता मानव विकास में सबसे प्रमुख अवरोधक रही है और अब भी यह एक समस्या के रूप में बनी हुई है। बीजिंग में हुए चौथे महिला सम्मेलन के पहले 1995 में HDR 1995 में दो सूचकांक (i) लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Related Development Index- GDI) तथा (ii) लैंगिक सशक्तिकरण माप (Gender Empowerment Measure- GEM) जारी किए गए। लैंगिक विकास सूचकांक (GDI), मानव विकास सूचकांक (HDI) आयामों में लिंग के कारण विषमता को ध्यान में रखता है। जहां मानव विकास सूचकांक तथा लैंगिक विकास सूचकांक औसत उपलब्धि को इस प्रकार समायोजित करता है जिससे यह पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच विषमता को प्रदर्शित कर सके वहीं लैंगिक सशक्तिकरण माप राजनैतिक भागीदारी (महिलाओं को प्राप्त पार्लियामेंट सीट के आधार पर) आर्थिक संसाधनों पर अधिकार (भागीदारी आय अंतराल के आधार पर) पर बल देता है। वर्ष 2020 में जारी रिपोर्ट में GII में भारत 123वें स्थान पर है जबकि पिछले साल ये 122वें स्थान पर था।

लैंगिक विकास सूचकांक (GDI: Gender Development Index)

- GDI वर्ज़ 1995 में UNDP द्वारा विकसित किया गया था। लैंगिक दृष्टि से यह HDI से बेहतर सूचकांक है, जो स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य मानव विकास की भिन्नता के स्तर का पता लगाना संभव बनाता है अर्थात् यह मानव विकास की सटीक पहचान करवाता है। इसीलिए इसे समान विकसित सूचकांक (Equality Development Index) भी कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है।

$$\text{लैंगिक विकास सूचकांक} = \frac{\text{महिलाओं हेतु मानव विकास सूचकांक}}{\text{पुरुषों हेतु मानव विकास सूचकांक}}$$

- भारत का वर्ष 2019 के लिए GDI मूल्य .820 है।

लैंगिक सशक्तीकरण मापन (Gender Empowerment Measures-GEM)

GEM भी वर्ष 1995 में UNDP द्वारा विकसित किया गया था। इसमें तीन प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है:

राजनैतिक अधिकार (Political Rights)

- मत देने का अधिकार (Right to vote)
- चुनाव लड़ने का अधिकार (Right To Election)
- नकारने का अधिकार (Right To Reject)
- चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार (Right to Recall)

आर्थिक अधिकार (Economic Rights)

- कानून एवं योजनाओं के लागू होने में महिलाओं की भागीदारी।
- रोजगार, स्वरोजगार आदि में महिलाओं का हिस्सा।

सामाजिक अधिकार (Social Rights)

- सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने का अधिकार।
- सामाजिक सम्मान का अधिकार।

प्रमुख बिन्दु

- वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतराल को 68.0% तक कम किया गया है, दूसरे शब्दों में आज भी दुनिया में औसतन 32.0% लैंगिक अंतराल व्याप्त है। 89 देशों में लैंगिक अंतराल को कम करने की दिशा में सुधारात्मक और दिशात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। रिपोर्ट में शामिल चार उप-सूचकांकों में सबसे अधिक लैंगिक विषमता राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में है, जो वर्तमान में 77.1% है। इसके बाद दूसरी सबसे अधिक लैंगिक असमानता वाला क्षेत्र आर्थिक भागीदारी और अवसर है जो वर्तमान में 41.9% है।
- शिक्षा प्राप्ति तथा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में यह अंतराल क्रमश: 4.4% और 4.6% है। उल्लेखनीय है कि केवल आर्थिक भागीदारी और अवसर के

क्षेत्र में यह अंतराल पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम हुआ है।

- यद्यपि आर्थिक अवसर के क्षेत्र में अंतराल इस वर्ष थोड़ा कम हुआ है, लेकिन विशेष रूप से श्रम बल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में प्रगति धीमी रही है।
- राजनीतिक सशक्तीकरण के संदर्भ में पिछले दशक में हासिल की गई प्रगति में भी धीरे-धीरे कमी आनी शुरू हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देशों में लैंगिक समानता में थोड़ी कमी आई है, जबकि अन्य स्थानों पर इस क्षेत्र में औसत प्रगति जारी है।
- शिक्षा विशिष्ट लिंग अंतर अगले 14 वर्षों के भीतर कम होकर समानता के मार्ग पर अग्रसर है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल में भले ही 2006 के बाद थोड़ी वृद्धि हुई हो, लेकिन वैष्ठिवक रूप से यह लगभग समाप्त हो गया है मूल्यांकन में शामिल देशों के तीसरे हिस्से में यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है।

लिंग आधारित असमानता सूचकांक (Gender Based Inequality Index)

- लिंग आधारित असमानता सूचकांक महिला एवं पुरुष वर्ग के अलग-अलग, शिक्षा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक तथा आय सूचकांक का औसत होता है।
- लिंग आधारित असमानता सूचकांक = 1/3 (जीवन प्रत्याशा सूचकांक + शिक्षा सूचकांक + आय सूचकांक)
- लिंग आधारित असमानता सूचकांक की रचना के लिए सर्वप्रथम जन्म के समय महिला तथा पुरुष की अलग-अलग जीवन प्रत्याशा को ज्ञात किया जाता है। महिला की जीवन प्रत्याशा को आधार रूप में लिया जाता है, जिससे यह पता चल सकेगा कि वे दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं या नहीं। पुरुष तथा महिला के ज्ञान अथवा मानसिक विकास की जानकारी के लिए अलग-अलग शिक्षा सूचकांक ज्ञात किया जाता है। किसी देश में लैंगिक असमानता के विद्यमान न होने पर मानव विकास सूचकांक तथा लिंग आधारित विषमता सूचकांक दोनों ही समान होंगे।

लैंगिक खुशहाली सूचकांक (Gender Wellbeing Index : GWI)

- इसकी शुरुआत, UNDP के द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। इस सूचकांक से महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक खुशहाली का पता चलता है।
- इस सूचकांक का उद्देश्य घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को कामकाजी महिलाओं में बदलना है ताकि महिलाओं के घरेलू कार्यों को वाणिज्यिक दर्जा प्राप्त हो सके।
- इस सूचकांक से महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा तथा उनकी पहचान भी बनेगी।

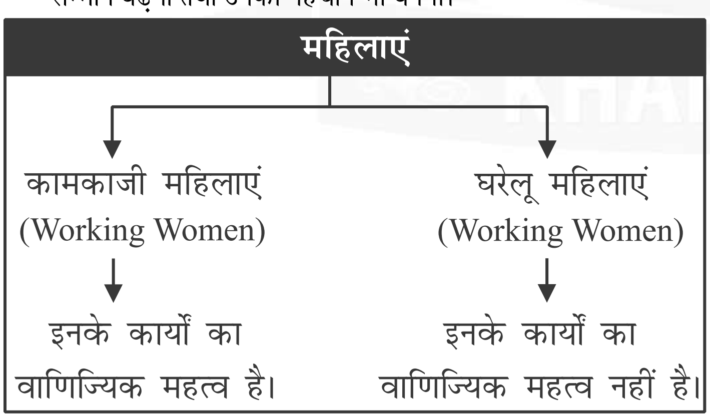

जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (Physical Quality of Life Index-PQLI)

- जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के प्रतिपादन का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी संस्था 'ओवरसीज विकास परिषद्' (Overseas Development Council) को दिया जाता है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर 1 से 10 तक सूचकांक प्रदान किए जाते हैं।
- यह सूचकांक निम्नलिखित चरों पर निर्भर करता है:

1. साक्षरता
2. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
3. शिशु मृत्यु दर

$$PQLI = \left[\frac{1}{3}(LEI + BLI + IMI)\right]$$

LEI (Life Expectancy Index) = जीवन प्रत्याशा सूचकांक

BLI (Basic Literacy Index) = मौलिक साक्षरता सूचकांक

IMI (Infant Mortality Index) = शिशु मृत्यु सूचकांक

- मौलिक साक्षरता सूचकांक से आशय किसी देश की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों के प्रतिशत से है।
- इस सूचकांक के अनुसार, जीवन प्रत्याशा अधिक होनी चाहिए, शिशु मृत्युदर कम होनी चाहिए तथा साक्षर लोगों का प्रतिशत अधिक होना चाहिए। यह विकास का सूचक है क्योंकि इसके लिए उच्च आय तथा उच्च सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index)

यह सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक तीन प्रमुख आयामों में बांटा गया है:

- ***मूलभूत आवश्यकता***
  - पोषण तथा मूलभूत चिकित्सा सुविधा।
  - पेयजल तथा स्वच्छता।
  - आश्रय (Shelter)।
  - व्यक्तिगत सुरक्षा।
- ***जीवन निर्वाह के आधार स्तंभ***
  - मूलभूत ज्ञान तक पहुंच।
  - सूचना तथा संवहन तक पहुंच।
  - स्वास्थ्य।
  - पर्यावरणीय गुणवत्ता।
- ***अवसर***
  - व्यक्तिगत अधिकार।
  - व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
  - सहिष्णुता तथा समावेशन।
  - उच्च शिक्षा तक पहुंच।

सामाजिक प्रगति से आशय नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के अलावा समाज में रह रहे लोगों की जीवन गुणवत्ता को पोषित रखने से है। जिससे

नागरिकों के जीवन संभाव्य क्षमता में वृद्धि लाई जा सके।

ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक, OECD तथा यूरोपियन आयोग आर्थिक विकास की माप के लिए SPI को अपनाने पर बल दे रहे हैं। HDI तथा सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक आर्थिक विकास के मापक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं लेकिन इनमें जी.डी.पी. प्रयोग में लाया जाता है। SPI (Social Progress Index) की धारणा अमर्त्य सेन, डग्लाज नार्थ तथा जोसेफ स्टिल्ज के लेखों पर आधारित है।

समावेशी विकास सूचकांक (Inclusive Development Index)

2017 में आर्थिक प्रगति के भविष्य को आकार देने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिस्टम इनिशिएटिव द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक आर्थिक सूचकांक है। यह तीन मानकों के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है इसके तीन मानक है।

- संवृद्धि व विकास।
- समावेशन।
- अंतर पीढ़ीगत साम्यता तथा धारणीयता।

समावेशी विकास सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) एक प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य नेतृत्व का विश्लेषण, रणनीतिक वार्ता, ठोस सहयोग तथा कॉर्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से सामाजिक प्रभाव में तेजी लाना है। इसके उद्देश्य से मजबूत सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से सतत् और समावेशी आर्थिक प्रगति के बारे में देशों में जागरूकता फैलाना व उस दिशा में प्रभावी रूप से कार्य करना है।

वर्ष 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए समावेशी विकास सूचकांक-2020 में 74 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग 62वीं (गत वर्ष 60वां स्थान प्राप्त) है।

वैश्विक खुशहाली सूचकांक (Global Happiness Index)

किसी देश की खुशहाली मापने का यह पैमाना वर्ष 2012 से प्रारंभ हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल सतत् विकास समाधान नेटवर्क ने पहली रिपोर्ट दी थी। इस सूचकांक में विभिन्न देशों की स्थिति जांचने के लिए छह कारकों पर ध्यान दिया जाता है।

1. प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (Per Capita GDP)
2 स्वस्थ जीवनकाल (Healthy Life Expectancy)
3. सामाजिक अवलंबन (Social Support)
4. जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता (Freedom to make life choice)
5. भ्रष्टाचार बोध (Perceptions of Corruption)
6. उदारता (Generosity)

उपर्युक्त कारकों में से सामाजिक सुरक्षा, आय और स्वस्थ जीवनकाल इन तीनों कारकों में दिखने वाला अंतर ही किसी देश की रैंकिंग तय करने का मुख्य आधार बनता है।

वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड पाँचवीं बार सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। अफगानिस्तान विश्व का सबसे दु:खी देश है।

समावेशी विकास को लेकर सरकार की नीतियां

- 'समावेशी विकास' को पूर्ववर्ती योजना आयोग के 11वें और 12वें योजना दस्तावेजों में भारी जोर मिला। 2001 के बाद से लगभग सभी सरकारी नीतियों और योजनाओं में समावेशी विकास पर जोर देना शुरु कर दिया।
- नियत समय में, सरकार ने विकास से बहिष्कृत विषय को शामिल करने की दिशा में अपनी नीतियों को विकसित करना शुरू कर दिया। सरकार की नीति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अल्पावधि और दीर्घकालिक नीति।

समावेशी विकास हेतु नीतिगत पहल

अल्प अवधि की नीतियां	लंबी अवधि की नीतियां

अल्पावधि नीति

- अल्पावधि समावेशी विकास नीतियों का उद्देश्य समाज के सबसे वंचित और हाशिये पर रहने वाले लोगों को न्यूनतम और आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है। इनमें खाद्य सुरक्षा योजना (राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना) हेल्थ केयर (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और संबंधित योजनाएं जैसे कि आयुष्मान भारत, आशा और एएनएम आदि। स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान) आवास योजनाएं (PMGAY); पेयजल (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम); शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए आदि) योजनाएं शामिल हैं।

लंबी अवधि की नीति

- अल्पकालिक नीतियों के साथ समस्या यह है कि वे सब्सिडी आधारित योजनाएं हैं और राष्ट्रीय खजाने पर अत्यधिक भार देती है, तब भी वे लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाती हैं, इसलिए दीर्घकालीन योजनाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जो समावेशी विकास का अधिक स्थायी तरीका है। इस प्रकार, सरकारी योजना का यह हिस्सा (दीर्घकालिक नीतियां) मांग आधारित रोजगार प्रदान करने, स्वरोजगार के लिए उपकरण और कौशल प्रदान करने, कौशल विकास और नवाचार मिशनों को बढ़ावा देने और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि पर केंद्रित है। हाल के वर्षो में समावेशी विकास के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण मंत्र रहा है।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू कर रही है

अत: हम पाते है कि वर्तमान में समावेशी विकास हासिल करना सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक रहा है। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने, सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आबादी के सभी वर्गों को कवर करने के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू कर रही है। 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना' (MGNREGA), 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP), 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना' (डीडीयूजीकेवाई) और 'दीनदयाल अंत्योदय योजना'- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम.) देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकार द्वारा लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में आजीविका, कृषि और संबद्ध गतिविधियों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक खर्च करके ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। रणनीतियों में कृषि आधारित उद्योगों और मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करके श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है। श्रम गहन कपड़ा क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए, आयुष्मान भारत के तहत 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना', केंद्रीय बजट 2018-19 में प्रस्तावित की गई थी, जिसमें 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को कवर करने की उम्मीद है, जो उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करेगा। सरकार के एजेंडे में असमानता कम करना भी महत्वपूर्ण है, भारत सरकार द्वारा गरीबी व असमानता को समाप्त करने के लिए 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (दुर्घटना बीमा), 'अटल पेंशन योजना' (असंगठित क्षेत्र), 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना' (जीवन बीमा) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा जाल को विस्तृत करने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्रा बैंक के माध्यम से उद्यमशीलता को संस्थागत समर्थन के साथ-साथ भारत के ग्रामीण इलाकों में उद्यमियों को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने के लिए और SC/ST उद्यमियों के लिए एक नेशनल हब बनाया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बैंक खाते तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को लागू किया गया है।

भारत में समावेशी और स्थायी विकास के लिए सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे को अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा एकत्रित घरेलू खपत व्यय का डेटा आर्थिक असमानता को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख उपायों में से एक है। घरेलू उपभोक्ता व्यय पर उपलब्ध नवीनतम एनएसएसओ के आंकड़ों (2011-12) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक (जनसंख्या के विभिन्न व्यय वर्गों के बीच असमानता को मापने) 2004-05 और 2011-12 लगभग एक समान रहा है (क्रमश 0.27 व 0.28।) शहरी क्षेत्रों में गिनी गुणांक 2004-05 में मामूली रूप से 0.35 से बढ़कर 2011-12 में 0.37 हो गया हैं।

क्या भारत में विकास समावेशी नही है।

भारत में विकास की प्रक्रिया समावेशी नहीं है। यह उत्तरोत्तर अपवर्जी होती जा रही है। इस संदर्भ में निम्न तत्वों व बातों पर विचार किया जा सकता है। Lucas Chancel और Thomas Piktty द्वारा जारी किए गए एक रिसर्च पेपर (From British Raj to Billionaire Raj) में यह बताया गया कि 1920 में आयकर लागू होने के बाद वर्तमान में भारत में आय की विषमताएं अपनी चरम सीमा पर है। इन्होंने बताया भारत में 2020 में विषमता, 1922 के मुकाबले कई ज्यादा हैं। इनके अनुसार 1980 के बाद भारत के शीर्ष 1% जनसंख्या की आय में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसने असमानता को बढ़ाया है। उनके अनुसार भारत की ऊपर की 1% जनसंख्या भारत की कुल राष्ट्रीय आय में 22% भूमिका रखती है।

Global Wealth Report, 2020 में Credit Suisse Research Institute द्वारा भारत के संदर्भ में संपत्तियों की विशेषता को लेकर निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया।

- भारत की ऊपर की 1% जनसंख्या के पास भारत की कुल सम्पत्ति का मात्र 60% है।
- भारत की नीचे की 50% जनसंख्या के पास भारत की कुल सम्पत्ति का मात्र 4.1% है।
- ऑक्सफैम रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में शीर्ष 1 प्रतिशत जनसंख्या के पास अब 73% संपत्ति है, जबकि 670 मिलियन नागरिकों, जिसमें देश के सबसे गरीब शामिल है, ने अपनी संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि दिखी।

यह ध्यान देने योग्य है कि गिनी गुणांक आय की विषमताओं को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। जिसका मूल्य 0-1 के बीच में होता है। लेकिन कभी-कभी इसे 100 से गुणा कर लिया जाता है।

यदि इसका मूल्य बढ़ा हुआ है तो आय की बढ़ी हुई विषमताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। जनवरी, 2016 में NSSO द्वारा घरेलू वस्तु और उत्तरदायित्व के विषय पर आयोजित किए गए 70वें चक्र के कुछ आंकड़ें जारी किए गए इसमें कुछ निम्न प्रकार है-

- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के AVA (Average Value of Assets) का स्तर रुपया 10.07 लाख का पाया जाता है। जबकि भारत के शहरी क्षेत्रों के परिवारों के AVA का स्तर रुपया 22-85 लाख तक पाया गया।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊपर की 1% परिवारों के AVA का स्तर रुपया 57 लाख का पाया गया, जबकि नीचे के 10% परिवारों के AVA का स्तर रुपया 25,071 का पाया गया।
- भारत के शहरी क्षेत्रों के ऊपर की 10% परिवारों के AVA का स्तर रुपया 146 लाख का पाया गया जब कि नीचे के 10% परिवारों का AVA का स्तर मात्र रुपया 291 का पाया गया।

उपर्युक्त तथ्यों व बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में समावेशी विकास नहीं है जरूरी है कि एक उपर्युक्त रणनीति के माध्यम से समावेशी विकास किया जाना चाहिए।

विकास से संबंधित अन्य बहसें

यू.एन.डी.पी. की टीम ने यद्यपि इस बात पर सहमति बना ली है कि विकास के घटक क्या होंगे लेकिन दुनिया भर में शिक्षाविद् और विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे हैं। 1995 तक दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं ने यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रतिपादित मानव विकास के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। मूल रूप से विश्व बैंक ने 1990 के दशक से ही सदस्य देशों में विकासपरक प्रयासों की गुणवत्ता को बढ़ाने और उसके अनुरूप सस्ते विकासपरक कोष आवंटित करने के लिए यू.एन.डी.पी. द्वारा तैयार 'मानव विकास रिपोर्ट' का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। स्वाभाविक रूप से सदस्य देशों ने अपनी नीतियों में आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा जैसे मानकों पर जोर देना शुरू कर दिया और इस तरह से इसे दुनिया भर में स्वीकार्यता मिल गई।

काफी सालों तक विशेषज्ञ और विद्वान विकास को परिभाषित करने के अपने-अपने प्रारूप लेकर आते रहे। वे विकास को परिभाषित करने वाले कारकों पर असमान रूप से वजन देते रहे। इसके साथ ही उन्होंने कई बार पूरी तरह से अलग मानकों का चयन किया जो उनके अनुसार विकास को ज्यादा स्पष्ट तरीके से परिभाषित करते थे, क्योंकि विकास, गुणवत्ता मूल्यों (Values) को तय करने और नियामक परिकल्पना का मामला है इसलिए इस प्रस्तुति की भी गुंजाइश थी। इनमें से अधिकतर प्रयास वैकल्पिक विकास सूचकांक के लिए सही नहीं थे, लेकिन वे वास्तव में बौद्धिक व्यंग्यों के जरिये मानव विकास सूचकांक के अपूर्ण होने को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही एक प्रयास 1999 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक (गैर-आधिकारक प्रयास) के अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने किया, जिन्होंने अपने अध्ययन में बांग्लादेश को दुनिया में सर्वाधिक विकसित राष्ट्र तथा अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों को सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर दिखाया।

वास्तव में ऐसे सूचकांक के जरिये ये काफी हद तक संभव है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, कि मानसिक शांति विकास और मानव जीवन की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी तत्व है, जो काफी हद तक इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हर दिन हम कितना सो पाते हैं। घरों में चोरी या लूटपाट की आशंका पर निर्भर करता है कि हम कितने निश्चिंत होकर सो सकते हैं, जो दूसरे शब्दों में इस बात पर निर्भर करता है कि इनके न होने को लेकर हम कितने आश्वस्त हैं। इसका मतलब हम अच्छी नींद के बारे में जानने की कोशिश घरों में चोरी और लूटपाट की घटनाओं के आंकड़ों से कर सकते हैं। छोटी-मोटी चोरियों के बारे में आमतौर पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, ऐसे में सर्वेक्षण करने वाले ऐसे मामले में मान लीजिए देश में एक साल में तालों की बिक्री के आंकड़ों से इसे

जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन देशों में लोगों को सबसे ज्यादा बेफिक्र सोने वाला माना जाना चाहिए, जहां लोगों के पास चोरी होने या लूटपाट होने का जोखिम जैसी कोई बात न हो, यानी उन्हें सबसे बेहतर मानसिक शांति उपलब्ध हो इसलिए वो सबसे विकसित देश होगा।

वास्तव में 'मानव विकास सूचकांक' को मापने का एक ऐसा संभव आधार माना जा सकता है, जिसे लेकर अधिकतर जानकारों के बीच सहमति हो। लेकिन जिन तय पैमानों पर यह सूचकांक देशों के विकास का आकलन करता है वह वास्तव में कई दूसरे अहम कारकों को छोड़ देता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे दूसरे कारक, जो हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करते है, निम्नलिखित हो सकते हैं-

- अर्थव्यवस्था के सांस्कृतिक पहलू।
- पर्यावरण की शुद्धता और सौंदर्यबोध को लेकर नजरिया।
- अर्थव्यवस्था के नियम और प्रशासन से संबंधित पहलू।
- खुशहाली और प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के विचार।
- मानव जीवन को लेकर नैतिक परिदृश्य।

विकास का आत्मविश्लेषण (Introspecting of Development)

विकास के असली अर्थ को लेकर भ्रम तब शुरू हुआ जब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आए। विशेषज्ञ विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया एवं विकसित देशों के प्रदर्शन की रिपोर्टों का सर्वेक्षण कर रहे थे। एच.डी.आई. में जब पहले 20 स्थान पाने के बाद पश्चिमी दुनिया को विकसित देश घोषित कर दिया गया तब सामाजिक वैज्ञानिकों और अर्थव्यवस्थाओं जीवन की दशा का मूल्यांकन शुरू किया। ऐसे अधिकतर अध्ययनों में पाया गया कि पश्चिमी देशों में जीवन में सब कुछ था, सिवाय खुशी के अपराध, भ्रष्टाचार, लूटपाट, फिरौती, मादक पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, नरसंहार, नैतिक पतन, यौन विकृति आदि सभी प्रकार के तथाकथित विकार विकसित देशों में बढ़ रहे थे। इसका मतलब था कि विकास उन्हें मानसिक शांति, खुशहाली और अच्छे हालात में रहने का अनुभव देने में विफल रहा। विद्वानों ने दुनियाभर में विकास के लिए किए गए प्रयासों पर ही प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। उनमें से अधिकतर ने विकास को फिर से परिभाषित करने पर बल दिया जो मनुष्य को खुशियां दे सके।

विकसित दुनिया में विकास के कारण खुशी क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब किसी एक तथ्य में नहीं छिपा है बल्कि ये मानव जीवन के कई पहलुओं को छूता है। पहला जब कभी भी अर्थशास्त्री प्रगति की बात करते हैं तो उनका आशय मानव जीवन की संपूर्ण खुशी से होता है।

सामाजिक वैज्ञानिक हालांकि 'खुशी' के पर्यायवाची के तौर पर प्रगति, वृद्धि, विकास, संपन्नता और कल्याण का इस्तेमाल करते हैं। खुशी एक मानक (Normative) धारणा के साथ ही एक मनोदशा (State of mind) है, जो समय एवं स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती है।

दूसरा, जिस अवधि में विकास को परिभाषित किया गया, ये माना जाता है कि कुछ निर्धारित भौतिक संसाधनों की आपूर्ति से इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इन संसाधनों को इस तरह से निर्दिष्ट किया गया जो बेहतर आय का स्तर, पोषण का उचित स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, साक्षरता और शिक्षा आदि।

खुशी विकास से कहीं ज्यादा व्यापक अवधारणा है। वो तथाकथित 'विकास' जिसे हासिल करने के लिए दुनिया पिछले कई दशकों से कड़ी मेहनत कर रही है वो इंसानों को सिर्फ भौतिक खुशी देने में ही सक्षम है। खुशी का एक गैर-भौतिक पहलू भी है। इसका आशय है कि जब तक दुनिया अपने विकास के परिदृश्य (यानी भौतिक खुशी) को और पुष्ट करने में लगी रहेगी तब तक उसे खुशी का गैर-भौतिक हिस्सा हासिल नहीं हो सकता। हमारे जीवन का गैर-भौतिक हिस्सा, मूल्यों, धर्म, आध्यात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है, जैसे- विकास या मानव विकास को भौतिक संदर्भों में परिभाषित किया गया है, ये हमें भौतिक खुशी ही प्रदान कर सकता है जो विकसित दुनिया में देखी जा सकती है। विकास की आंशिक परिभाषा के कारण विकसित राष्ट्र विकास हासिल कर पाए लेकिन खुशहाली नही। खुशी के गैर-भौतिक हिस्से के लिए हमें स्वाभाविक रूप से विकास की अवधारणा को आज नहीं तो कल नए सिरे से परिभाषित करना होगा। किसी तरह एक छोटा राष्ट्र विकास को अपने तरीके से परिभाषित कर पाया, जिसमें जिंदगी के भौतिक और गैर-भौतिक दोनों पहलू मौजूद थे और उसने इसे 'ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस' (जी.एन.एच) कहा, ये राष्ट्र था- भूटान।

सामाजिक मानदंड, संस्कृति और विकास
(Social Norms, Culture and Development)

आर्थिक विकास न सिर्फ राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और कराधान को सही करने पर निर्भर करता है, बल्कि इसका आधार इंसान के मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृति और नैतिक मानदंडों में भी होता है। अर्थशास्त्र के पेशे में इसका थोड़ा विरोध हुआ क्योंकि इसका अर्थ एक तरह से शास्त्रों को आस-पास रखने का आधार देना होता। वर्ष 2015 की विश्व विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूडीआर) विकास के व्यवहारपरक और सामाजिक आधारों पर केंद्रित थी और उसे अच्छी स्वीकृति भी मिली।

सरकारी दस्तावेज (सामान्यत: रूखे, स्पष्ट) अक्सर विकास और आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में सामाजिक मानदंडों और संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं करते। हालांकि अब ऐसी रचनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो बताती हैं कि सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक परंपराएं आर्थिक क्षमता और विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं। आज इसे दर्शाने वाले देश में व्यापक शोध और लैबोरेट्री एक्सपेरिमेंट मौजूद हैं। अक्सर कहा जाता है कि, किसी देश का विकास इसके संसाधनों, मानव शक्ति और आर्थिक नीतियों, उदाहरण के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति की दिशा पर निर्भर करता है लेकिन इसके साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड भी हैं, जो समाज में व्याप्त हैं। ऐसे समाज जो निजी शराफत और विश्वास से उत्पन्न होते हैं, उन्हें यह स्वाभाविक लाभ होता है कि किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध (Contract) नहीं करना पड़ता। बाहर वालों के लिए यह जानकारी विश्वसनीय है, जो व्यापार और कारोबार करने के लिए काफी होती है। विकास के इन 'सामाजिक' कामों को आर्थिक नीतियों पर रचनाओं में पर्याप्त पहचान क्यों नहीं मिलती, इसकी एक वजह यह है कि अर्थशास्त्र के लिए मददगार यह सामाजिक गुण कैसे हासिल किए जाते हैं। इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता है। सौभाग्य से एक नया विषय व्यवहारपरक अर्थशास्त्र हमें परंपराओं और स्वभाव के निर्माण पर कुछ ज्ञान देता है।

- उदाहरण के लिए यह मानी हुई बात है कि, जिन भवनों और कार्यस्थलों का रख-रखाव ज्यादा साफ सुथरा व सुंदर किया जाता है, वहां लोग ज्यादातर ईमानदार और भ्रष्ट आचरण से बचने वाले होते हैं। यह लगभग इसी तरह है कि हमारा मानसिक झुकाव हो कि हम एक अच्छे वातावरण को अपने भ्रष्ट आचरण से बर्बाद न करें।
- न्यूयॉर्क शहर में दीवारों से ग्रैफिटी (भित्ति चित्र) हटाकर और शहर की सफाई करके वहां अन्य चीजों के अलावा भारी संख्या में होने वाले अपराधों पर भी नियंत्रण पाया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने गुंडागर्दी रोकने और सार्वजनिक स्थलों को विक्षत (Scar) करने वाले भित्तिलेखन (Graffiti) हटाने का फैसला लिया। शहर के सौंदर्यबोध (Aesthetic) के द्वारा ज्यादा सुंदर बनाने से संभावित अपराधियों को कम अपराध करने को प्रेरित किया जा सका।
- इसका आम उदाहरण मेट्रो में सफर करने वाले दिल्ली वालों के व्यवहार में दिख सकता है। व्यापक रूप से यह देखा गया है कि लोग दिल्ली की साफ-सुथरी मेट्रो में यात्रा के दौरान बेहतर बर्ताव करते हैं (कुछ का कहना है कि वे अपने बुरे बर्ताव को वापस जमीन तक आने के लिए टाल देते हैं)।

इस तरह यह समाजशास्त्र के प्रभावशाली टूटी खिड़की (Broken Window) सिद्धांत के अनुरूप ही है। इसके अनुसार अगर हम छोटे स्तर के असामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाते हैं तो इससे स्वाभाविक रूप से बड़े अपराधों और भ्रष्टाचार के कृत्यों पर एक निरोधी असर होता है। इसके अलावा नागरिकों के कुछ सामूहिक गुणों जैसे कि ईमानदारी, विश्वसनीयता की असली पहचान और जागरूकता समूचे समाज को इन गुणों को अपनाने के काबिल बनाती है और सर्वव्यापी मुफ्त के फायदे उठाने की समस्या से निजात दिलाती है।

अर्थशास्त्र में इस तरह की रचनाएं बढ़ रही हैं जिनके अनुसार समाज-अनुकूल व्यवहार, (जिसमें परोपकारिता और विश्वसनीयता शामिल हैं), इंसानों में जन्मजात होता है और अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से चलाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करता है। दूसरे शब्दों में, इंसानों में दूसरे लोगों के लिए निजी फायदे से ऊपर उठने की स्वाभाविक क्षमता होती है जो सामाजिक समरसता व विकास के मनोवैज्ञानिक पहलू को सुदृढ़ बनाता है। यह विशेषता भले ही इंसान में क्रमिक विकास से ही हो लेकिन आज इसकी मौजूदगी को हाल के अध्ययनों में लैबोरेट्री टेस्ट के जरिए दर्शाया गया है।

पर्यावरणीय नैतिकता (Environmental Ethics)

- पर्यावरणीय नैतिकता, व्यावहारिक नीतिशास्त्र की एक शाखा है इसका तात्पर्य, मानवीय मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों के आधार मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों की ऐसी व्याख्या है, जिसमें पर्यावरणीय नियम एवं सिद्धांत (Environmental Rules and Theory) भी शामिल होते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति के स्व कर्त्तव्य का बोध होता है।
- मनुष्य को अगर सतत् विकास (Sustainable Development) के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मनुष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है और यहीं से पर्यावरणीय नैतिकता (Environmental Ethics) की शुरुआत होती है जो पर्यावरणीय संरक्षण (Environmental Protection) पर जाकर खत्म होती है।
- इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'हरित सकल घरेलू उत्पाद' (Green GDP), 'हरित अर्थव्यवस्था' (Green Economy) जैसी अवधारणाओं का विकास किया गया है।

मूल्य और अर्थशास्त्र (Values and Economics)

मनोविज्ञान और विकासपरक जीव विज्ञान में एक शोध से दर्शाया गया है कि नैतिकता, परोपकार और मूल्य मानी जाने वाली अन्य बातें इंसानी दिमाग का जन्मजात हिस्सा होती हैं, फिर भी जिस परिवेश में एक व्यक्ति रहता है, वह उनका पोषण कर सकती हैं या कुचल सकती हैं। हालांकि इन इंसानी और नैतिक गुणों की पहचान का आर्थिक विकास पर भारी असर पड़ सकता था, लेकिन इसका अर्थशास्त्र में देरी से प्रवेश हुआ। इसलिए इस पर रचनाएं नई और छोटी हैं। दरअसल हालिया शोध दिखाते हैं कि समाज में कुछ 'अच्छे' लोग होने से व्यवहार का स्तर ऊपर उठ सकता है जिससे हम कुल मिलाकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। इसके भी प्रमाण हैं कि सामाजिक मानदंड और आदतें जो पहली नजर में किसी समाज में अंदर तक सीमाएं बनाती हैं, अल्पकाल में ही बदल सकती है। इस तर्क से तो किसी देश के लिए सामाजिक मानदंडों को विकसित और पोषित किया जा सकता है जो अधिक सक्रिय अर्थव्यवस्था को सक्षम करें।

एक देश की आर्थिक प्रगति की बात करते हुए सारा ध्यान, (प्रशंसा और आलोचना दोनों) सामान्यत: सरकार पर केंद्रित रहता है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वह, कुछ नागरिक समाज (Civil society), फर्मों, किसानों और आम नागरिकों पर भी निर्भर होती है। सामाजिक मानदंड और सामूहिक विश्वास जो इन पक्षों के व्यवहार को आकार देते हैं, किसी देश के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ईमानदारी, समयबद्धता, वायदे पूरे करने की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार के प्रति नजरिया ऐसी विशेषताएं हैं जो सामाजिक विश्वास और मानदंड से बनती हैं और व्यवहार के तरीके आदत बन सकते हैं। इसके अलावा भारत जैसे एक लोकतंत्र में सरकार क्या कर सकती है, यह काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि आम लोग क्या सोचते हैं और किस पर यकीन करते हैं। चुनावी राजनीति का अर्थ यही है। पहले इस पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं गया, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पारंपरिक अर्थशास्त्र के बारे में इतना ज्यादा लिखा गया था कि जैसे जीवन के ये गैर अर्थशास्त्री पहलू महत्वहीन हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती अगर लोग पूरी तरह स्व-हित की सोच से ही काम करें। जहां निजी-हित आर्थिक विकास का एक मुख्य कारक है, यह भी महत्वपूर्ण है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता उस सीमेंट का काम करते हैं जो समाज को बांधता है। एक समय था जब अर्थशास्त्री इन सामाजिक मानदंडों, प्राथमिकताओं और परंपराओं को अपरिवर्तनीय मानकर व्यवहार करते थे। अगर ऐसा था तो उनके ऊपर विश्लेषण करने का कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि लोगों में यह गुण बदले जा सकते हैं। ईमानदारी और शराफत को पोषित किया जा सकता है और भ्रष्टाचार से विमुखता को मजबूत किया जा सकता है।

अगर किसी देश में ऐसे गुण अपर्याप्त हैं या नहीं हैं तो यह संभव है कि वह देश स्थिर (Stagnate) हो जाएगा और अराजक गरीबी के जाल में फंसा रहेगा। उदाहरण के लिए उन अनुबंधों (Contracts) को लीजिए जो बाजार को विकसित होने और आर्थिक जिंदगी का आधार तैयार करते हैं। अगर किसी देश में अनुबंध की व्यवस्था इतनी कमजोर होगी कि अगर कोई बैंक मकान खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को 20 साल का ऋण देता है, जिससे लौटाए न जाने की बहुत ज्यादा आशंका है तो इसका असर यह नहीं पड़ेगा कि उस देश में बैंक भारी घाटे में जाएंगे। बल्कि इसका असर यह होगा कि बैंक ऋण नहीं देंगे और मकान का बाजार बहुत अल्पविकसित रहेगा और मकानों की कुल संख्या बहुत कम रहेगी। जटिल और बड़े अनुबंध लागू करने, विशेषकर जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षा दी गई हो, की जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य कानून और व्यवस्था उपलब्ध करवाता है ताकि लोग अनुबंध कर सकें। आर्थिक जीवन रोजमर्रा के अनुबंधों से भरा होता है (उदारहण के लिए, आप मुझे अपनी टैक्सी में यात्रा करने देते हैं और उसके अंत मैं आपको भुगतान करता हूं, दूसरा आप मेरा घर अगले दो दिन तक पेंट करते हैं और मैं उसके बाद आपको पैसे देता हूं)। रोजमर्रा की इन स्थितियों में राज्य और अदालतों को लाना बहुत बोझिल होगा। यहां मुख्य जमानती लोगों की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता होनी चाहिए। जिन समाजों ने सफलतापूर्वक इन गुणों को विकसित कर लिया है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो समाज इन विशेषताओं में पीछे रह गए उनकी आर्थिक प्रगति भी कमजोर रही है।

इसका सही तरीका पता नहीं है कि इन मूल्यों को समाज में कैसे शामिल किया जाए। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इनके महत्त्व के बारे में लिखते रहने से बदलाव की प्रेरणा मिलेगी, जैसे ही आम लोगों को यह अहसास होगा कि आर्थिक प्रगति के लिए ये सामाजिक गुण उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि वह नीतियां जो सीधे अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जैसे- स्टॉक मार्केट का चलना या बाजार में प्रतियोगिता के नियम तय करना इत्यादि। इसके अलावा, मौलिक साक्षरता और बेहतर शिक्षा भी मददगार होगी, क्योंकि फिर लोग खुद ही, अपने स्तर पर विचार कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साक्षरता का और फायदा है जब इसका परिणाम यह होता है कि सामान्य जन ऐसी नीतियों की मांग करते हैं, जो वास्तव में बेहतर होती हैं, न कि मात्र ऐसी नीतियां जो सिर्फ सतह पर

बेहतर दिखती हैं। इससे भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में राजनेता बेहतर नीतियां चुनना शुरू करेंगे। अंततः राजनेता और नीति-निर्माता अगर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के गुणों के आदर्श बनें तो गाड़ी चल पड़ेगी। नीति-निर्माण में इंसानी जीवन के व्यवहारपरक पहलुओं को शामिल करना लोगों के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।

इस अध्याय से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम एवं मुद्दे

आयुष्मान भारत डिजिटल विधेयक, 2021

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सितम्बर, 2021 को लांच किया गया। इसे नागरिकों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करने के लिए किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री बनाना भी है। यह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और चिकित्सा पेशेवरों के लिए आसान इलेक्ट्रॉनिक पहुँच की अनुमति देता है। यह दवाओं के पारम्परिक और आधुनिक प्रणाली दोनों के क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यापक भंडार के रूप में कार्य करती है।
- इस मिशन से, मरीजों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड की बेहतर पहुँच प्रदान करता है। यह उपचार की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है।
- यह मरीजों के ई-फार्मेसी और टेली परामर्श जैसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। मेडिकल रिकॉर्ड जैसे डिस्चार्ज डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को सुरक्षित रूप से स्टोर करने की अनुमति देता है।
- मिशन के माध्यम से नागरिकों के पास सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल, दोनों तक पहुँचने का विकल्प है।

अंकटाड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, 2021

- हाल ही में, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अकंटाड) द्वारा अकटांड डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, 2021 जारी किया गया है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि, अंकटाड ने फिलीपींस को उन पांच देशों में रखा, जो सीमा-पार डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेटा के मुक्त प्रवाह की आवश्यकता है।
- सीमा पार डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने वाले पाँच देशों में शामिल हैं- कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका, अब फिलीपींस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, इस प्रकार अब कुल 6 देश हो गये। ये देश डेटा प्रवाह के लिये 'लाइट-टच अप्रोच' का उपयोग करते हैं।
- अकंटाड ने सिफारिश की है कि, वैश्विक समुदाय को सीमा पार, डिजिटल डेटा के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाना चाहिए। इससे दुनिया भर में डेटा साझा करने की सुविधा मिलेगी तथा वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का विकास होगा।
- भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, वियतनाम आदि देशों द्वारा सीमा पार डेटा प्रवाह के लिए 'प्रतिबधात्मक' या 'संरक्षित' दृष्टिकोण का पालन किया जाता है।

आईएफएससीए द्वारा सतत् वित्त पर विशेष समिति की स्थापना

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने सतत् वित्त हब के विकास की दिशा में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

- इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता 'पर्यावरण : वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' के पूर्व सचिव सी.के. मिश्रा कर रहे है। इस समिति में कुल 10 सदस्य हैं, जो एक सतत् वित्तीय केंद्र विकसित करने तरीकों की सिफारिश करेंगे।
- भारत सरकार ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित और विनियमित करने के लिए वर्ष 2020 में आईएफएससीए की स्थापना की है।
- इस समिति में स्थायी वित्त क्षेत्र के नेता शामिल हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसिया, फंड, शिक्षा, मानक निर्धारक निकाय शामिल हैं।
- 'गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी' गाँधीनगर में स्थित है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। गिफ्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य बिजली, गैस, पानी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, टेलीकॉम, सड़क और ब्रॉडबैण्ड जैसी उच्च गुणवत्ता वाली भौतिक अवसंरचना प्रदान करना है ताकि इसमें वित्त और तकनीकी फर्मो के संचालन को स्थानांतरित किया जा सके।

भारत के MPI पर नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग द्वारा भारत के 'बहुआयामी' गरीबी सूचकांक, (MPI) पर रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है।

2021 के लिये भारत का MPI

- यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा शुरू किये गये वर्ष 2021 के लिए MPI रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की बहुआयामी गरीबी 27.9 प्रतिशत है।
- इस सूचकांक में 109 देशों में भारत 62वें स्थान पर है। जिसमें MPI स्कोर 0.123 है।
- पर्याप्त पोषण, बेहतर जल की कमी, या कम से कम छह साल की स्कूली शिक्षा जैसे 10 संकेतकों के आधार पर सूचकांक तैयार किया जाता है।
- रिपोर्ट में, शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये से कम खर्च करने वाले और गांवो में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया। हालांकि, MPI को मापने के इस दृष्टिकोण को नीति आयोग ने छोड़ दिया था।
- एमपीआई शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे तीन आयामों पर आधारित है (प्रत्येक आयाम का सूचकांक में एक-तिहाई भारत होता है।) इन आयामों में 12 खण्ड, पोषण, प्रसवपूर्व देखभाल, बाल और किशोर मृत्यु दर, स्कूल में उपस्थिति, स्कूल शिक्षा, खाना पकाने का ईंधन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बिजली बैंक खाते और सम्पत्ति शामिल है।